



BEE/SLL | QR code | 2022-23/

ALERT

24th November, 2022

विषय: रेफ्रिजरेटर के लिए क्यूआर कोड लागू करने के संबंध में

Subject: Regarding Implementation of QR code for Refrigerators

This is in continuation with BEE's Alert dated 31st March, 2022 regarding Implementation of QR Code for Refrigerators. With reference to point no. 5 of the aforesaid Alert, it is to inform that the Gazette Notification for Refrigerators covering the mandatory requirement for affixing QR code along with the star label has been issued on 30th September, 2022. A copy of the said Gazette Notification is attached herewith for ready reference. In view of the above, it is to inform that the mandatory implementation of QR code on refrigerators (Direct Cool and Frost Free categories) would be effective from 1st January, 2023.

In this regard, a detailed Standard Operating Procedure (SOP) which was already shared with all the manufacturers during March 2022 is attached herewith for reference.

परमिटियों से अनुरोध है कि वे इस अलर्ट के संबंध में आवश्यक अनुपालन करें।

Permittees are requested to make necessary compliance with regards to this Alert.

प्राम्ति प्रभातनलिनी सामल निदेशक



IMPLEMENTATION OF QR CODE ON REFRIGERATOR (DIRECT COOL & FROST FREE REFRIGERATOR)

Standard Operation Procedure (SOP)

Of

Secure QR Code Generation

Standards & Labeling (S&L) Program



1. Secure QR Code Request From the Manufacturer

- 1.1. BEE Portal Manufacturer Login: The manufacturer will log in BEE portal using their registered credentials. After successfully logged-In the user will redirect to the dashboard. The dashboard screen has module access called "Secure QR Code Request". Click upon the module user will redirect to the Secure QR Code Request List Screen.
- 1.2. **Approved and Active Model List Screen:** This screen will list all approved and active model lists. This screen also has a search option to search models via "**Application Id**". Model list will have the option to view the respective model-generated request and generate a new request option.
 - a. Search by Application Id
 - b. Model List
 - i. Sno.
 - ii. Application Id
 - iii. Model Number
 - iv. Star Label
 - v. Application Submission Date
 - vi. Model Expiry Date
 - vii. View (Action Button)
- 1.3. Secure QR Code Request Screen: This screen will have following section:
 - a. Model Detail.
 - i. Equipment Type
 - ii. Model Number
 - iii. Model Application Id
 - iv. Model Approval Date
 - v. Model Expiry Date
 - 1.3.1. Request for New QR Code (Action button) This action button only available if no previous QR Code requested or a Previously requested QR Code XML file uploaded. If any Previously Requested QR Code XML file not uploaded then "Request New QR Code" will not appear. Upon click on the action button user will redirect on the "Request New QR Code Screen".
 - 1.3.2. QRCode Request List
 - a. Sno.
 - b. Request Reference Number This column value is clickable and upon click on this request summary will pop-up.
 - i. Requested QR Code
 - ii. Assigned QR Code
 - iii. Un-Assigned QR Code
 - iv. Scrapped QR Code
 - v. Distributor Data



- c. Requested Date
- d. QR Code Requested
- e. QR Code Submitted
- f. Submitted Date
- g. Status (XML Generated/XML Downloaded/XML Validated)
- h. Download (Action button) Once XML file generated, this action button will appear.
- i. Change Request (Action Button) This action button only appears, if QR Code requested and not uploaded the updated (Mapped XML file) and the Requested date and Current date difference have between and equal to allowed time frame (change request time frame defined by the BEE admin against the equipment/global). This option only available for One Time.
- j. Upload (Action button) Once XML file is downloaded, the Upload button will appear.
- k. Upload Distributor Data (Action button) This is optional for the manufacturer and only available once the requested XML file is uploaded. The manufacturer can upload the QR Code associated with product unit data against the requested reference number
- 1.4. **New QR Code Request/Change QR Code Request Screen:** This screen will have the following section:
 - a. Model Detail.
 - i. Equipment Type
 - ii. Model Number
 - iii. Model Application Id
 - iv. Model Approval Date
 - v. Model Expiry Date
 - b. QR Code Number (Text box) Input the required QR Code number (In case of the change QR Code Request text box will be prefilled with the previously requested QR Code number against Request Reference Number). User will enter the required QR Code.
 - c. Submit (Action Button) Click upon this button, the system will generate the QR Code Request XML file and user will redirect on the "Secure QR Code Request Screen" to download the generated XML file.
- 1.5. Download XML File: Secure QR Code Request Screen has the option to download the generated XML file. Once manufacturer will download this XML file, they have to map this XML file with their own centralize system to read the XML file and update the QRCode "ProductionUnitUniqueNumber" node value in place of "Update Production Unit Unique Number". The manufacturer should have maintained the XML file format the same as downloaded only the production Unit Unique Number value would be updated. Otherwise, the system will not accept any incorrect node or tempered file.




- 1.6. **Upload XML File: Secure QR Code Request Screen** have the option to upload an Updated with Production Unit Unique Number XML file. Click upon the upload option pop-up screen will open to upload the updated XML file. System will only accept the associated request reference number XML file otherwise file will not upload.
 - a. After successful file upload, manufacturer will redirect on the XML validate screen, where all updated data of XML file will display
 - i. QR Code Request Detail:-
 - 1. Model No.
 - 2. Request Reference Number
 - 3. Number of QR Code Requested
 - 4. Requested Date
 - ii. Assigned QR Code will have an associated production unit unique number.
 - iii. By default system will marked the Un-Assigned if production unit unique number not mapped. The manufacturer also option to mark the scrapped.
 - iv. Submit(Action button) Click upon the submit button all data validated and manufacturer will redirect on the **Validated Summary** screen.
 - v. Cancel (Action button) Click upon this, manufacturer will redirect on the Secure QR Code Request Screen.


b. Validated XML summary

- i. QR Code Request Detail:-
 - 1. Model No.
 - 2. Request Reference Number
 - 3. Number of QR Code Requested
 - 4. Requested Date
- ii. Uploaded XML Summary
 - 1. Total Assigned Production Unit
 - 2. Total Un-Assigned Production Unit
 - 3. Total Scrapped Production Unit.
- iii. Submit(Action button) Click upon the submit button, XML data finally submitted to database and manufacturer will redirect on the Secure QR Code Request Screen. After final submission of XML file, upload option for particular request reference number will not available.
- iv. Cancel (Action button) Click upon this, manufacturer will redirect on the Secure QR Code Request Screen.
- 1.7. Upload Distributor Data (Optional):- Upload Distributor Data is optional in this phase.




2. **Secure QR Code Request Work flow:** Complete process flow for generating of QRCode from BEE S&L Portal








3. QR Code Dimensions (In MM) and Affix Position













- 4. **Technical Requirement :-** No specific technology stack will be required to read and write the downloaded XML file. Almost every programming language supporting the XML file. At manufacturer end, running system must have feasibility to process the downloaded XML file from BEE S&L Portal.
- 5. **QR Code Tag Printer:- TT Printer** required to print the QR Code Tag.
 - a. We are recommending the **Zebra Printer** (**TT Printer**)
 - b. Recommended Model **ZD42043 T0G000EZ**
 - c. Recommended Minimum DPI 300
- 6. Help tool for QR Code Download/Upload







Agency Detail Brand: Brand_Name Equipment Type: Frost Free Refrigerator Sno Model No Model Effective Date Model Expiry Date Application ID Application Submission Date FF 2D 355 4S 25894 10-01-2014 01-01-2016 31-12-2021 View FF 2D 305 4S 25896 10-02-2014 01-01-2016 31-12-2021 View FF 2D 375 4S 25897 11-02-2014 01-01-2016 31-12-2021 View FF 2D 305 3S 25941 11-10-2013 01-01-2016 31-12-2021 View FF 2D 355 3S 25942 05-12-2019 01-01-2016 31-12-2021 View FF 2D 375 3S 26168 05-12-2019 01-01-2016 31-12-2021 View FF 2D 305 D 58616 05-12-2019 31-12-2021 View FF 2D 375 D 25-10-2019 31-12-2021 58620 01-04-2016 View FF 2D 355 D 31-12-2021 58628 25-10-2019 14-03-2016 View 10 IF 515 C 78494 25-10-2019 28-04-2017 31-12-2021 View 11 IF 455 D 96954 25-10-2019 18-07-2018 31-12-2021 View 12 FF 2D 258 C 61323 18-03-2016 31-12-2021 25-10-2019 View 13 IF 455 C 68332 31-12-2021 25-10-2019 12-04-2017 View 14 IF 480 D 112817 25-10-2019 25-02-2019 31-12-2021 View 15 IF 480 C 79656 25-10-2019 28-04-2017 31-12-2021 View 16 FF BM CNV 2D 340 C 145241 07-11-2020 03-12-2020 31-12-2021 View 17 FF BM CNV 2D 340 B 145243 07-11-2020 16-11-2020 31-12-2021 View
















```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<QRCodeRequestDetail>
     <ModelDetail>
           <AgencyId>17128</AgencyId>
            <BrandName>Erand Name</BrandName>
<Equipment>Frost Free Refrigerator</Equipment>
           <EquipmentId>8</EquipmentId>
<ApplicationId>25942</ApplicationId>
<ModelNumber>Electronic Models </modelNumber>
           <StarLabel>1
StarLabel>1
StarLabel>1
ModelFamily Family Model
ModelEffectiveDate> 01-01-2016
ModelExpiryDate> 31-12-2021
ModelExpiryDate> 31-12-2021
ModelExpiryDate> 31-12-2021
           <QRCodeRequestUniqueNumber> 52f8ccca-79b9-4407-824c-7c06d6f0e700</QRCodeRequestUniqueNumber> <NoOfQRCodeRequested> 20</NoOfQRCodeRequested>
            <QRCodeRequestDate> 26-09-2021</QRCodeRequestDate>
     <QRCodeList>
           <QRCode>
                 <ORCodeUniqueNumber>cfa3c00a-2e91-46f0-9aee-4471c0c923c8</ORCodeUniqueNumber>
            ProductUrl> http://bee-stage.aksamity.com/ProductModelDetail/cfa3c00a-2e91-46f0-9aee-4471c0c923c8</productUrl> ProductionUnitUniqueNumber> Update Production Unit Unique Number
           </ORCode>
           <QRCode>
                 <QRCOdeUniqueNumber>5a2dd6c2-96fb-4ccd-bdf1-588d25bf1ebc</QRCOdeUniqueNumber>
<ProductUrl>http://bee-stage.aksamity.com/ProductModelDetail/5a2dd6c2-96fb-4ccd-bdf1-588d25bf1ebc</ProductUrl>
<ProductionUnitUniqueNumber>Update Production Unit Unique Number</ProductionUnitUniqueNumber>
        - <QRCode>
           <QRCodeUniqueNumber>6ff231f6-d03e-439c-b850-89095ff5cf6b</QRCodeUniqueNumber>
<ProductUrl> http://bee-stage.aksamity.com/ProductModelDetail/6ff231f6-d03e-439c-b850-89095ff5cf6b</ProductUrl>
<ProductionUnitUniqueNumber>Update Production Unit Unique Number</ProductionUnitUniqueNumber>
</QRCode>
</QRCode>
                 <QRCodeUniqueNumber>b7863177-fe70-403e-9ac4-7ec9d1b01a98</QRCodeUniqueNumber>
                 <ProductUrl>http://bee-stage.aksamity.com/ProductModelDetail/b7863177-fe70-403e-9ac4-7ec9d1b01a98</productUrl>
<ProductionUnitUniqueNumber>Update Production Unit Unique Number</productionUnitUniqueNumber>
           </QRCode>
```





















Copyright @ 2019 All rights Reserved, Bureau of Energy Efficiency



7. Contact Details of Technical Team For Support and Guidance

	Name	Email	Contact No.
S.No.			
1	Mrs. Deepshikha (BEE Team)	deepshikha@beeindia.gov.in	011-26766752
2	Mr. Jai Prakash (Amity Team)	jpk@amitysoftware.com	+91-120-4305031
3	Mr. Shailendra (Amity Team)	ss1@amitysoftware.com	+91-011-26766800
4	Mr. Himanshu (Amity Team)	hxk@amitysoftware.com	+91-011-26766800
5	Mr. Dhiraj Kumar (Amity Team)	dxk@amitysoftware.com	+91-120-4305000

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102022-239367 CG-DL-E-06102022-239367

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 482]

No. 4821

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2022/आश्विन 8, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2022/ASVINA 8, 1944

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2022

सं. बीईई / एस एंड एल / संदर्भ / 70/2021-22.—प्रारूप विनियम अर्थात्:, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (प्रशीतकों के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2022 ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 58 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार अधिसूचना संख्या बीईई/एस एंड एल/रेफ/70/2021-22, तारीख 10 जून, 2022 के द्वारा उन व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किए गए थे;

और उक्त प्रारूप विनियमों की प्रतियां जनता को 10 जून, 2022 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उपरोक्त कथित अवधि के अंदर उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में सुझाव प्राप्त हुए हैं;

और जबिक इस संबंध में प्राप्त सुझावों पर विचार कर लिया गया है;

अत: अब, ब्यूरो, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 13 की उप-धारा (2) के खंड (ढ़) और धारा 14 के खंड (घ) के साथ पठित धारा 58 की उप-धारा (2) के खंड (झ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (घरेलू फ्रॉस्ट फ्री प्रशीतकों के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2009 दिनांक 6 जुलाई, 2009 और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (घरेलू सीधे ठंडे प्रशीतकों के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2016 दिनांक 26 मई, 2016 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थातु: -

6595 GI/2022 (1)

- 1. संक्षिप्त नाम और आरंभ :- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (प्रशीतक के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2022 है।
 - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषा :- (1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) "अधिनियम" से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) अभिप्रेत है;
 - (ख) "प्ररूप" से इन विनियमों के साथ संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है:
 - (ग) "लेबल" से प्रशीतक पर चिपकाई गई अथवा प्रदर्शित लिखित, मुद्रित, चिह्नित, मुहर लगी या ग्राफिक सामग्री अभिप्रेत है;
 - (घ) "लेबल की अवधि" से धारा 14 के खंड (क) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा खपत मानक के अधीन तुलनात्मक बिजली की खपत की विधिमान्यता अवधि अभिप्रेत है और यदि तुलनात्मक बिजली खपत की विधिमान्यता अवधि की समाप्ति अवधि अधिसूचित नहीं की जाती है तो इसे तब तक विधिमान्य माना जाएगा जब तक कि केंद्रीय सरकार द्वारा इसके लिए नए मान अधिसूचित नहीं किए जाते हैं;
 - (ङ) "मॉडल या मॉडलों का परिवार" से एक विशेष ब्रांड के मॉडल या मॉडल की श्रेणी अभिप्रेत है, जिसके लिए परीक्षण रिपोर्ट का एक सेट लागू होता है और जहां प्रत्येक मॉडल में समान प्रकार की भौतिक विशेषताएं, बिजली की वार्षिक खपत, ऊर्जा दक्षता स्तर और निष्पादन विशेषताएं हैं;
 - (च) "अनुज्ञापत्रधारी" से अभिप्रेत ऐसे व्यक्ति या ऐसा अभिकरण है जिसे विनियम 7 के अधीन लेबल चिपकाने के लिए अनुज्ञा दी गई है;
 - (छ) "प्रशीतक" से अधिनियम की धारा 14 के खंड (ख) के अधीन अधिसूचना में निर्दिष्ट एक उपकरण अभिप्रेत है;
 - (ज) "अनुसूची" से इन विनियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;
 - (झ) "स्टार रेटिंग या स्टार लेवल" से अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन प्रशीतक के लेबल पर केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा खपत मानक के लेबल पर प्रदर्शित किया गया ऊर्जा दक्षता का ग्रेड अभिप्रेत है, जिसमें प्रशीतक की तुलनात्मक बिजली खपत को दर्शाया जाता है;
 - (ञ) लेबल लगे प्रशीतक के संबंध में "व्यापारी अथवा विक्रेता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऐसे प्रशीतक का विक्रय अथवा वितरण करता है और इसमें दुकानदार, व्यापारी, विनिर्माता और प्रशीतकों पर लेबल चिपकाने के लिए अनुमति प्राप्त अनुज्ञापत्रधारी शामिल हैं।
 - (2) यहां इसमें प्रयुक्त उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।
- 3. लेबल पर प्रदर्शित किया जाने वाला विवरण (1) प्रत्येक प्रशीतक में, इसके लेबल पर निम्नलिखित विशिष्टियां प्रदर्शित की जाएंगी, अर्थात्-
 - (क) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का प्रतीक चिह्न;
 - (ख) निर्माता या आयातक और ब्रांड का नाम;
 - (ग) साधित्र का प्रकार;
 - (घ) कुल मात्रा;
 - (ङ) मॉडल संख्या और विनिर्माण या आयात का वर्ष:
 - (च) विशिष्ट श्रृंखला कोड;
 - (छ) प्रति वर्ष इकाइयों में बिजली की खपत;

- (ज) स्टार लेवल; तथा
- (झ) लेबल की अवधि
- (2) लेबल की परिकल्पना, रंग, आकार और सामग्री इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची में यथा: विनिर्दिष्ट होगा।
- 4. लेबलों के प्रदर्शन के लिए समय-सीमा (1) विनियम 3 में विनिर्दिष्ट सभी विशिष्टियों वाला लेबल इन विनियमों के लागू होने की तारीख से छह माह की अवधि के अंदर प्रत्येक प्रशीतक पर प्रदर्शित किया जाएगा।
 - (2) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (क) के अधीन अधिसूचित पुनरविलोकित ऊर्जा खपत मानकों के आरंभ होने पर और आरंभ होने से, प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी या व्यापारी या विक्रेता सुनिश्चित करेगा कि-
 - (क) पिछले ऊर्जा खपत मानकों के साथ प्रशीतक का उत्पादन नहीं करेगा;
 - (ख) प्रशीतक पर ऊर्जा खपत मानक के साथ स्टार स्तर और लेबल अवधि और पुनरीक्षित ऊर्जा खपत मानकों के साथ तुल्यकालिक प्रशीतकों के निर्माण वर्ष को प्रदर्शित करेगा;
 - (ग) डीलरों, खुदरा व्यापारियों को जानकारी देने के लिए उनको शिक्षित करने के साथ ही उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए अपेक्षित प्रचार-प्रसार सहित सभी प्रारंभिक कदम उठाए गए हैं और तीन महीने पहले कार्रवाई की जाएगी।
- 5. लेबल प्रदर्शित करने की रीति (1) प्रत्येक प्रशीतक पर विक्रय के स्थान पर शीघ्र प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड के साथ लेबल प्रदर्शित किया जाएगा और प्रशीतकों पर उक्त लेबल निम्नलिखित तरीके से चिपकाया जाएगा, अर्थात्:-
 - (क) प्रशीतक के ऊपरी दाहिने हिस्से के सामने की तरफ चिपके हुए क्यूआर कोड के साथ स्वयं चिपकने वाला लेबल:
 - (ख) कार्टन बॉक्स के सामने की तरफ क्यूआर कोड के साथ स्वयं चिपकने वाला लेबल;
 - (2) प्रदर्शन पर नहीं रखे गए प्रशीतकों के लिए, लेबल को पैकिंग के बाहरी हिस्से में चिपकाया जा सकता है और विक्रय के समय लेबल को यूनिट पर लगाया जा सकता है।
- लेबल प्रदर्शित करने की अनुज्ञा-(1) ब्यूरो की पूर्व अनुमित के बिना प्रशीतकों पर कोई स्टार नहीं चिपकाया जाएगा।
 - (2) कंपनी रजिस्ट्रीकरण ब्यूरो की अनुमित प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक ब्रांड को एक लाख रुपए की लेबल प्रतिभूति शुल्क के साथ, अलग से रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा जैसा कि प्ररूप I (क) में निर्दिष्ट किया गया है, भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा देय है:

परंतु लघु उद्योग के मामले में, लेबल प्रतिभृति शुल्क केवल पच्चीस हजार रुपए होगा।

- (3) मॉडल रजिस्ट्रीकरण- उप-विनियम (2) के अधीन अनुज्ञापत्रधारी के प्रत्येक आवेदन के साथ-
 - (क) भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा देय प्रति मॉडल दो हजार रुपए का आवेदन शुल्क; तथा
 - (ख) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के पक्ष में देय; भुगतान के किसी भी स्वीकार्य इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा एक लाख रुपए का लेबल प्रतिभृति शुल्क:
 - (ग) प्ररूप-1 (ख) में यथा विनिर्दिष्ट दस्तावेज
- 7. अनुज्ञा प्रदान करना (1) विनियम 6 के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होने पर और यह समाधान होने पर कि इसमें दी गई सभी अपेक्षाओं का पालन किया गया है, ब्यूरो मानक और लेबल लगाने की पर इस मैनुअल में निर्दिष्ट के रूप में उक्त प्राप्ति के एक माह की अविध के अंदर, विनियम 8 में यथा: विनिर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों के अध्यधीन के लिए अनुज्ञा प्रदान कर सकता है।
 - (क) प्ररूप II-(क) में इलेक्ट्रॉनिक रूप में ब्रांड रजिस्ट्रीकृत करना; तथा

- (ख) प्ररूप II-(ख) में इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रशीतकों पर लेबल लगाने की अनुमति देना।
- (2) ब्यूरो द्वारा प्ररूप-III में रजिस्टर का अनुरक्षण किया जाएगा और इसमें अनुज्ञापत्रधारी का नाम प्रविष्ट किया जाएगा:
- (3) उप-विनियम (1) के अधीन इस प्रकार प्रदत्त अनुज्ञा उस अविध तक मान्य होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 14 के खण्ड (क) के अधीन यथा: अधिसूचित ऊर्जा खपत मानक द्वारा स्टार स्तर के लिए विनिर्दिष्ट की गई है;
- (4) अनुज्ञापत्रधारी द्वारा स्टार रेटिंग योजना के पुनरीक्षण के मामले में, अनुमित के नवीनीकरण का आवेदन इसकी समाप्ति से एक महीने बाद नहीं किया जाएगा और इसके साथ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के पक्ष में इलेक्ट्रॉनिक मोड में देय एक हजार रुपए का शुल्क होगा।
 - परंतु, स्टार रेटिंग योजना के विस्तार के मामले में, उक्त नवीनीकरण के एक हजार रुपए के शुल्क से छूट दी जाएगी।
- (5) विधिमान्यता की अवधि समाप्त होने के बाद किसी आवेदन का नवीकरण नहीं किया जाएगा और इस मामले में अनुज्ञापत्रधारी को नया आवेदन पत्र देना होगा;
- (6) उप- विनियम (4) के अधीन नवीकरण के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर और सभी अपेक्षाएं पूरी होने के संबंध में समाधान होने पर, ब्यूरो उक्त आवेदन प्राप्त होने की तारीख से एक माह की अविध के अंदर प्ररूप-॥ में अनुज्ञा का नवीकरण कर सकता है;
- (7) जो अनुज्ञापत्रधारी उस तारीख से प्रशीतक के मौजूदा मॉडल पर लेबल चिपकाने को जारी रखने की अनुज्ञा की मांग करता है, जिस तारीख से पुनरीक्षित स्टार स्तर लागू हुआ है, केवल प्ररूप IV में एक घोषणा प्रस्तुत करेगा;
- (8) यदि प्रशीतक के नए मॉडल की योजना पुनरीक्षित स्टार स्तर के साथ ताल-मेल बिठाकर शुरू करने की योजना है तो अनुज्ञापत्रधारी नया लेबल चिपकाने की अनुज्ञा लेगा और उक्त अनुज्ञा के लिए आवेदन पुनरीक्षित स्टार स्तर के लागू होने से छह माह पूर्व किया जाए;
- 8. लेबल पर विशिष्टियां प्रदर्शित करने के लिए नियम और शर्तें:- प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी और व्यापारी एवं विक्रेता लेबल पर विशिष्टियां प्रदर्शित करने में निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों का पालन करेगा, अर्थात -
 - (क) प्रशीतक के लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (क) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित प्रशीतक के लिए ऊर्जा खपत मानकों के अनुरूप होंगे;
 - (ख) यह लेबल प्रशीतक के ऐसे मॉडलों पर ही चिपकाया जाएगा जिसके लिए अनुज्ञा ली गई है;
 - (ग) लेबल को अनुज्ञापत्रधारी की लागत पर मुद्रित और प्रशीतकों पर चिपकाया जाएगा;
 - (घ) अनुज्ञापत्रधारी, व्यापारी और विक्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि प्रशीतक के लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर हर समय बना रहेगा;
 - (ङ) अनुज्ञापत्रधारी विनियम 9 में यथा विनिर्दिष्ट लेबल शुल्क का भुगतान करेगा;
 - (च) अनुज्ञापत्रधारी ब्यूरो को विवरण मुहैया कराएगा जिसमें लेबल लगे उपकरणों को बनाने का ब्यौरा और वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अंत में निम्नलिखित माह के अंदर प्रत्येक तिमाही के लिए देय प्रोद्भूत लेबलिंग शुल्क का विवरण हो;
 - (छ) अनुज्ञापत्रधारी, ब्यूरो को अपने लेबल लगे उत्पादों के विक्रय के लिए नियुक्त प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को अधिकृत वितरकों, डीलरों और थोक विक्रेताओं एवं विक्रेताओं की सूची मुहैया कराएगा;
 - (ज) ऐसे अन्य नियमों एवं शर्तों का पालन करेंगे जो ब्यूरो द्वारा, मानक और लेबल लगाने की के संबंध में ब्यूरो की प्रचालन पुस्तिका में निहित नियमों एवं शर्तों सहित विनिर्दिष्ट किए गए हों:

- 9. लेबल शुल्क- (1) प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, ब्यूरो को प्रशीतक पर प्रत्येक चिपकाए गए लेबल के लिए पांच रुपए के शुल्क का भुगतान करेगा।
 - (2) उप-विनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट लेबल शुल्क, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख से एक माह के अंदर वार्षिक रूप से किया जाएगा;

परंतु यथा विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर लेबल शुल्क का भुगतान न करने पर, ब्यूरो विनियम 6 के उप-विनियम (3) के खण्ड (ख) के अधीन प्रतिभूति रकम से इस पर प्रतिवर्ष दस प्रतिशत की दर से इस पर ब्याज का भुगतान करेगा और यदि इसे जमा किए जाने की अंतिम तारीख से एक माह के अंदर पूरा लेबलिंग शुल्क वसूल नहीं की जाती, ब्यूरो अनुज्ञापत्रधारी को प्रदत्त सभी अनुज्ञा रद्द कर सकता है और अनुज्ञापत्रधारी का नाम चूककर्ता के रूप में समाचार पत्र में प्रकाशित कर सकता है।

- 10. लेबल प्रतिभूति शुल्क का प्रतिदाय:- विनियम 9 के उप-विनियम (2) के उपबंधों के अधीन, अनुज्ञापत्रधारी को प्रशीतकों का विनिर्माण बंद करने पर लेबल प्रतिभूति शुल्क के प्रतिदाय का अधिकार होगा।
- 11. ब्यूरो द्वारा सत्यापन- (1) ब्यूरो अथवा इसकी नामोद्दिष्ट एजेंसी, स्वयमेव अथवा इसे शिकायत प्राप्त होने पर, यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन करेगा कि प्रशीतक इसके लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर और अन्य विशिष्टियों के अनुरूप है और कि यह अनुज्ञा के अन्य नियमों एवं शर्तों के अनुपालन में है।
 - (2) सत्यापन के प्रयोजन के लिए, (क) ब्यूरो अथवा इसकी नामोद्दिष्ट एजेंसी द्वारा विनिर्माता सुविधा अथवा फुटकर विक्रय केन्द्र से यादृच्छिक तौर पर नमूने एकत्र किए जाएंगे; और ख) निम्नलिखित परीक्षण से नमूने लिए जाएंगे और इसका परीक्षण किया जाएगा (i) ऊर्जा खपत परीक्षण (ii) कुल मात्रा और (iii) पुल डाउन परीक्षण।
 - (3) जहां उप- विनियम (1) के अधीन शिकायत प्राप्त होने पर, ब्यूरो द्वारा जांच और अंशांकन प्रयोगशालाओं हेतु राष्ट्रीय परीक्षण प्रत्यायन बोर्ड द्वारा विधिवत प्रत्यायित स्वतंत्र प्रयोगशाला में प्रशीतक की जांच को चुनौती देकर सत्यापन करना अपेक्षित है, अनुज्ञापत्रधारी को ऐसे परीक्षण के निष्पादन के लिए नोटिस जारी किया जाएगा और शिकायतकर्ता को ब्यूरो के पास नमूना लागत, परीक्षण, परिवहन संबंधी खर्च और अन्य आकस्मिक व्यय, ऐसी समयाविध में जमा कराने की मांग करेगा जो ब्यूरो द्वारा विनिर्धारित की गई हो और यदि जांच परीक्षण के अधीन लिए गए नमूने विफल रहते हैं, ब्यूरो को नमूने लेने, नमूने के परिवहन और जांच प्रभारों की लागत के लिए सभी व्यय की प्रतिपूर्ति अनुज्ञापत्रधारी द्वारा वहन की जाएगी और ब्यूरो उल्लिखित व्यय की प्रतिपूर्ति शिकायतकर्ता को करेगा और जहां उपकरण चुनौती परीक्षण पर खरे उतरते हैं, तब शिकायतकर्ता द्वारा जमा कराए गए व्यय जब्त कर लिए जाएंगे:
 - (4) जहां जांच के लिए प्रशीतकों के नमूने स्वयमेव परीक्षण अथवा चुनौती परीक्षण के दौरान परीक्षण में विफल रहते हैं, अनुज्ञापत्रधारी को एक अन्य अवसर दिया जाएगा और ब्यूरो, अनुज्ञापत्रधारी की लागत पर राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला बोर्ड द्वारा विधिवत प्रत्यायित स्वतंत्र प्रयोगशाला में प्रथम जांच में प्रयुक्त प्रशीतक के दो गुने परिमाण में दूसरा परीक्षण करेगा और ब्यूरो उप-विनियम (3) में संदर्भित चुनौती परीक्षण को देखने या उप-विनियम (4) में संदर्भित दूसरे परीक्षण और नमूने की खरीद और परीक्षण के लिए किए जाने वाले खर्चों के लिए जानकारी को प्ररूप 5 में अनुज्ञापत्रधारी को सूचित करेगा।
 - (5) दूसरे परीक्षण में विफल रहने पर ब्यूरो, -
 - (क) प्ररूप VI, में अनुज्ञापत्रधारी को सभी राज्य नामोद्दिष्ट एजेंसियों को निदेश देगा कि अनुज्ञापत्रधारी दो माह की अवधि के अंदर,
 - प्रशीतक के लेबल पर सही स्टार स्तर प्रदर्शित करेगा अथवा परीक्षण के दौरान त्रुटियों और खराबियों को दूर करेगा;
 - ii. ब्यूरो के दिशा- निर्देशों के अनुपालन में बाजार से सभी स्टॉक को वापस लेगा; और
 - iii. विज्ञापित सामग्री पर प्रदर्शित विवरण में परिवर्तन करेगा।

- (ख) उपभोक्ताओं के लाभ के लिए, दो माह के अंदर अनुज्ञापत्रधारी का नाम, ब्राण्ड का नाम, मॉडल का नाम अथवा मॉडल संख्या, प्रतीक चिह्न और अन्य विनिर्दिष्टता किसी दैनिक राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय समाचारपत्र अथवा इलेक्ट्रॉनिक अथवा यथोचित किसी अन्य तरीके से प्रकाशित करेगा।
- (ग) संबंधित राज्य नामोद्दिष्ट एजेंसी को ईसी अधिनियम, 2001 की धारा 27 के अधीन अनुज्ञापत्रधारी और व्यापारी के खिलाफ न्यायिक कानूनी कार्रवाई करने की सूचना दें।
- (6) अनुज्ञापत्रधारी उप-विनियम (5) में संदर्भित दो माह की अवधि समाप्त होने के दस दिनों के अंदर,-
 - (क) ब्यूरो को दिशा-निर्देश के अनुपालन में की गई कार्रवाई के संबंध में प्ररूप VII में अनुपालन रिपोर्ट भेजेगा; और
 - (ख) यदि खण्ड (क) में संदर्भित अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है अथवा विनिर्धारित अविध के अंदर निदेश का पालन किए बिना प्राप्त होती है, तो इसे जारी निर्देशों का गैर-अनुपालन माना जाएगा और ब्यूरो द्वारा इस आशय के आदेश को पारित किया जाएगा।
- (7) ब्यूरो अधिनियम की धारा 17 के अधीन कार्रवाई करने के प्रयोजनार्थ सभी राज्य नामोद्दिष्ट एजेंसियों को विनियम-(6) के खण्ड (क) में संदर्भित अनुपालन रिपोर्ट और खण्ड (ख) में जारी आदेशों की एक प्रति, आवश्यक दस्तावेजों सहित भेजेगा और कथित उप-विनियम के खण्ड (ख) के अधीन जारी आदेशों का प्रवर्तन करेगा:
- (8) जहां अनुज्ञापत्रधारी, ब्यूरो द्वारा उप-विनियम (5) के अधीन जारी किए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहता है, वहां ब्यूरो लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए सभी राज्य नामोद्दिष्ट एजेंसियों को सूचना देते हुए –
 - (क) विनियम 7 के उप-विनियम (1) के अधीन अनुज्ञापत्रधारी को प्रदत्त अनुमति वापस ले लेगा;
 - (ख) केन्द्रीय सरकार को अनुज्ञापत्रधारी द्वारा ऊर्जा खपत अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा खपत मानक और ब्यूरो द्वारा उप-विनियम (6) के खण्ड (क) द्वारा संदर्भित आदेशों का अनुपालन करने में विफलता के समर्थन में जांच रिपोर्ट के साथ, विचारार्थ और केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (ग) के अधीन कार्रवाई करने हेत् रिपोर्ट भेजेगा।
 - (ग) उपभोक्ताओं के लाभ के लिए, दो माह के अंदर, किसी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में और किसी इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य तरीके से जैसा उचित समझा जाए, अनुज्ञापत्रधारी का नाम, ब्रांड नाम, मॉडल का नाम या मॉडल संख्या, लोगो और अन्य विनिर्देशन प्रकाशित करेगा; और
 - (घ) संबंधित राज्य नामोद्दिष्ट एजेंसियों को अधिनियम की धारा 27 के अधीन अनुज्ञापत्रधारी और व्यापारी के खिलाफ आगे अधिनिर्णय कार्रवाई शुरू करने के लिए सूचित करेगा।
- 12. अनुज्ञा रद्द करना :- ब्यूरो विनियम 7 के अधीन प्रदत्त अनुमति को निरस्त कर सकता है, यदि अनुज्ञापत्रधारी
 - (क) विनियम 8 के अधीन विनिर्दिष्ट किसी नियम और शर्त का पालन नहीं करता;
 - (ख) विनियम 9 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर लेबल शुल्क का भुगतान नहीं करता;
 - (ग) विनियम 11 के अधीन जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं करता।

परंतु कोई भी अनुमित तब तक रद्द नहीं की जाएगी जब तक कि अनुज्ञापत्रधारी को मामले में सुनवाई का अवसर न दिया गया हो।

अभय बाकरे, महानिदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./304/2022-23]

प्ररूप I – (क)

[विनियम 6 के उप-विनियम (2) देखें]

(कंपनी के लेटर हेड में प्रिंट किया जाए)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (प्रशीतकों के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2022 के अधीन प्रशीतकों के रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन-पत्र

H;	महानिदशक								
ऊ	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो								
-	वेद्युत मंत्रालय, भारत सरकार), चौथा तल, व क्टर – 1, आर. के. पुरम, नई दिल्ली – 110								
अं अ 2 (सं	तं / हम (व्यक्ति या फर्म का पूरा नाम) की शैली के तंतर्गत (व्यापार का पूरा पता) व्यापार करने के लिए प्रशीतकों का/के विनिर्माता त्थवा आयातक हूं / हैं जैसा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (प्रशीतक के लेबलों पर विशिष्टियां और उनके संप्रदर्शन की रीति) विनियम, 1022 में ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट है, प्रशीतकों पर प्रदर्शित करने / लगाने की अनुमित पाने हेतु आवेदन करता हूं / करते हैं। प्रकरण, कंपनी, विनिर्माण सुविधा, और भुगतान संबंधी विस्तृत विशिष्टियां अनुबंध में दिया गया है। फर्म रजिस्ट्रार अथवा तंस्थाओं / उद्योग निदेशक (छोटे पैमाने की इकाइयों के मामले में) द्वारा जारी निगमन प्रमाणपत्र या अन्य सदृश दस्तावेजों को प्रति संलग्न है जो फर्म का नाम और इसके विनिर्माण परिसरों को अनुप्रमाणित करते हैं, संलग्न है।								
(क) आवेदक/ अधिकृत व्यक्ति : (नाम और पदनाम) कंपनी/ फर्म आदि की ओर से यह आवेदन करने के लिए अधिकृत है और वह इस आवेदन के साथ मुहैया कराई गई सूचना की सटीकता एवं अधिप्रमाणिकता के लिए उत्तरदायी होगा।									
•	ा) संपर्क व्यक्ति : रो के साथ समन्वय करने के लिए अधिकृत स		दनाम) इस आवेदन	और लेबल के उपयोग के संबंध में					
•	·) मैं/हम उपरोक्त (क) अथवा (ख) में रने का वचन देता हूं/ देते हैं।	परिभाषित अधिकृत व्य	प्रक्तियों में किसी पा	रेवर्तन के बारे में ब्यूरो को सूचित					
	मेरी/ हमारी जानकारी और अनुमान के अन् म्नानुसार हैं:	नुसार, उक्त उपकरण वे	ज्ञत्पादन और वि <mark>क्र</mark>	त्य संबंधी आंकड़े और इनका मूल्य					
	वर्ष उत्पादन विक्रय उपकरण का अधिकतम खुदरा मूल्य (रु.)								
	तक अंतिम वर्ष								
	वर्तमान वर्ष से तक वर्ष (अनुमान)								

- 4. एक लाख रुपए या पच्चीस हजार रुपए का लेबल प्रतिभूति शुल्क, जैसा भी मामला हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भुगतान किया गया है (केवल लेबल प्रतिभूति शुल्क जमा करने के समय ही भरा जाना है)।
- 5. मैं/हम ब्यूरो द्वारा यथा विनिर्दिष्ट लेबल लगाने की शुल्क का भुगतान करने को सहमत हूं/हैं।

- 6. मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी नियमों एवं शर्तों का पालन करने और ब्यूरो द्वारा कोई पूछताछ किए जाने की स्थिति में उसे आवश्यक सहायता/सहयोग देने को सहमत हूं/हैं।
- 7. मैं/हम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को सत्यापन के लिए नमूने का चयन करने और परीक्षण को चुनौती देने के लिए अधिकृत करता हूं/करते हैं और इस संबंध में ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने को सहमत हूं/हैं।

8.	मैं/हम	`यह घे	षिणा व	करता ह	हुं/ करते	हैं कि इ	इस आवेद	न पत्र र	रें दी गई	सूचना	`मेरी/हम	गरी ज	ानकारी ^व	के अनुसार	: सही है और
र्या	दे कोई	सूचना	गलत	पाई ज	ाती है;	आवेदन	-पत्र को	तत्काल	अस्वीकृ	त किय	ा जा सक	त्ता है।			

	2	<u> </u>	<u>,</u> ,
नागिव	17	:न	तिष
साराञ	1	₹`\\	177

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
के लिए और उनकी ओर से

(फर्म का नाम) फर्म की मुहर

उपाबंध (प्ररूप 1 – (क) का पैरा 2 देखें)

1. कंपनी के विवरण

कंपनी का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नं.	
फैक्स नं.	
ई-मेल	
वेबसाइट	
रजिस्ट्रीकरण का समर्थन करने के लिए	
संलग्नक:	
(क) निर्माण या व्यावसायिक परिसर के	हां / नहीं
नाम और पते को प्रमाणित करने वाला	
दस्तावेज	
(ख) व्यापार चिह्न प्रमाण पत्र	
(ग) लघु उद्योग प्रमाणपत्र, यदि लागू	
हो	
(घ) क्वालिटी प्रबंधन प्रणाली	
प्रमाणपत्र	

(ड.) अधिकृत हस्ताक्षरी पत्र	
(च) भारतीय मानक अनुज्ञप्ति ब्यूरो, यदि लागू हो	
(छ) भुगतान के लिए भुगतान रसीद	
ऑनलाइन की जाती है	
	अधिक विनिर्माण सुविधाओं के मामले में एक अलग तालिका प्रदान की जा
सकती है)	
विनिर्माण सुविधा का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य / देश	
फोन नंबर	
फैक्स नंबर	
ई-मेल	
वेबसाइट	
कोई अन्य विशिष्टियां (यदि कोई हो)	
	पदनामके लिए और उनकी ओर से (फर्म का नाम) फर्म की मुहर
	प्ररूप । - (ख)
• • •	[विनियम 6 देखें] के संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2022 के अधीन प्रशीतकों पर
	चिपकाने की अनुमति हेतु आवेदन-पत्र
महा निदेशक ऊर्जा दक्षता ब्युरो	
ऊजा दक्षता ब्यूरा (विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)	
चौथा तल, सेवा भवन,	
सेक्टर – 1, आर. के. पुरम	
नई दिल्ली – 110 0 6 6	
भारत	
मैं / हम	(व्यक्ति या फर्म का पूरा नाम) की शैली (व्यापार का पूरा पता) व्यापार करने के लिए प्रशीतकों का/के
** *	ंदक्षता ब्यूरो (प्रशीतक के लेबलों पर विशिष्टियां और उनके संप्रदर्शन की रीति) क्या गया है, प्रशीतकों पर प्रदर्शित करने / लगाने की अनुमति पाने हेतु आवेदन
ावानयम, 2022 म ब्यूरा द्वारा ।वानादष्ट ।व करता हूं / करते हैं।	म्या गया है, प्रशातका पर प्रदाशत करन / लगान का अनुमात पान हतुं आवदन

2. विनिर्माता सुविधा: उपरोक्त उपकरण (कारखाने का नाम और पत		प्पनी का नाम) द्वारा	विनिर्मित या आयातित है और					
3. सूचना का विशिष्टियां : उपकरण, कंपनी, विनिर्माण सुविधा, परीक्षण उत्पादों के लिए प्रमाणन, लेबल और भुगतान संबंधी विस्तृत विशिष्टियां इस प्ररूप के साथ संलग्न अनुबंध में दिया गया है। फर्म पंजीयक अथवा संस्थाओं / उद्योग निदेशक (छोटे पैमाने की इकाइयों के मामले में) द्वारा जारी निगमन प्रमाणपत्र अथवा अन्य सदृश दस्तावेजों की प्रति संलग्न है जो फर्म का नाम और इसके विनिर्माण परिसरों को अनुप्रमाणित करते हैं, संलग्न है।								
क) आवेदक या अधिकृत व्यक्ति : यह आवेदन करने के लिए अधिकृत है अधिप्रमाणिकता के लिए उत्तरदायी होगा।	क) आवेदक या अधिकृत व्यक्ति : (नाम और पदनाम) कंपनी या फर्म आदि की ओर से यह आवेदन करने के लिए अधिकृत है और वह इस आवेदन के साथ मुहैया कराई गई सूचना की सटीकता एवं अधिप्रमाणिकता के लिए उत्तरदायी होगा।							
ख) संपर्क व्यक्ति : ब्यूरो के साथ समन्वय करने के लिए अधिकृ		र पदनाम) इस आवेदन	और लेबल के उपयोग के संबंध में					
ग) मैं/हम उपरोक्त (क) अथवा (ख) करने का वचन देता हूं/ देते हैं।	में परिभाषित अधिकृ	त व्यक्तियों में किसी परि	रेवर्तन के बारे में ब्यूरो को सूचित					
4. मानकों का अनुपालन : मैं/हम (उपकरण का नाम) के लिए (अधिसूचना का शीर्षक) के संबंध में अधिसूचना में यथा: विनिर्दिष्ट भारतीय मानकों या अन्य (मानक का नाम और संख्या) के अनुसार गुणवत्ता प्रणाली या अन्य मानकों के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो या अन्य अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करते हैं।								
मैंने / हमने, उपकरण की गुणवत्ता की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अपनी आंतरिक प्रयोगशाला अथवा एनएबीएल द्वारा प्रत्यायित प्रयोगशाला (प्रयोगशाला का नाम और पता) में								
परीक्षण हेतु व्यवस्था कर ली है। (2) मैंने/हमने अपनी आंतरिक प्रयोगशाला या स्वतंत्र प्रयोगशाला (प्रयोगशाला का नाम और पता) में परीक्षण हेतु व्यवस्था की है जो राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड या इंटरनेशनल लैबोरेटरी एक्रेडिटेशन को-ऑपरेशन या एशिया प्रशांत प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग या समकक्ष निकायों द्वारा उपकरणों की गुणवत्ता में स्थिरता सुनिश्चित करने के साथ-साथ वैधानिक आदेश में निर्दिष्ट संगत भारतीय मानकों / अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन या अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन मानकों के विस्तार द्वारा मान्यता प्राप्त है।								
प्रयोगशाला का ब्यौरा :								
क) प्रत्यायन बोर्ड								
ख) प्रत्यायन की स्थिति :								
i. प्रयोगशाला के लिए : (हां / नहीं)								
ii. परीक्षण मानकों के लिए : निर्दिष्ट संगत उत्पाद मानक का नाम और संख्या)								
5. मेरी/ हमारी जानकारी और अनुमान के अनुसार, उक्त उपकरण के उत्पादन और विक्रय संबंधी आंकड़े और इनका मूल्य निम्नानुसार हैं:								
वर्ष	उत्पादन	विक्रय	उपकरण का अधिकतम खुदरा मूल्य (रु.)					

वर्ष	उत्पादन	विक्रय	उपकरण का अधिकतम खुदरा मूल्य (रु.)
से तक अंतिम वर्ष			
वर्तमान वर्ष से वर्ष तक (अनुमान)			

6. (क) इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा दो हजार रुपए की आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।
(ख) एक लाख रुपए या पच्चीस हजार रुपए के लेबल प्रतिभूति शुल्क का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा किया गया है।
(ग) मैं/हम ब्यूरो द्वारा यथा विनिर्दिष्ट के लेबल लगाने की शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमत हूं/हैं।
7. मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी निबंधनों एवं शर्तों का पालन करने और ब्यूरो द्वारा कोई पूछताछ किए जाने की स्थिति में उसे आवश्यक सहायता/सहयोग देने को सहमत हूं/हैं।
8. मैं/हम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को सत्यापन के लिए नमूने का चयन करने और परीक्षण को चुनौती देने के लिए अधिकृत करता हूं/करते हैं और इस संबंध में ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने को सहमत हूं/हैं।
9. मैं/हम यह घोषणा करता हूं/ करते हैं कि इस आवेदन पत्र में दी गई सूचना मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सही है और यदि कोई सूचना गलत पाई जाती है; आवेदन-पत्र को तत्काल अस्वीकृत किया जा सकता है।
तारीख दिन (वर्ष)
भवदीय,
हस्ताक्षर ——
नाम पदनाम
के लिए और उनकी ओर से
(फर्म का नाम)
फर्म की मुहर

अनुबंध [प्ररूप । - (ख) का पैरा 3 देखें]

सूचना का विशिष्टियां

1. उत्पाद / उपकरण का ब्यौरा

1.1 सामान्य

उपकरण	
प्रकार (डायरेक्ट कूल, फ्रॉस्ट-फ्री प्रशीतक)	
प्रचालन सिद्धांत (संपीड़न)	
जलवायु वर्ग (उष्णकटिबंधीय टी)	
ब्रांड	
मॉडल का नाम / संख्या	
निर्माता/आयातक का नाम	
निर्माता का पता	

रेटेड कुल मात्रा (लीटर)	
निर्माण का माह और वर्ष	
भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणपत्र विशिष्टियां (यदि कोई हो) (लाइसेंस/प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)	
गुणवत्ता प्रणाली प्रमाणपत्र विशिष्टियां (लाइसेंस/प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)	
वार्षिक बिजली खपत (किलोवॉट घण्टा प्रति वर्ष)	
पुल डाउन टाइम (न्यूनतम)	

1.2 तकनीकी जानकारी

豖.	मॉडल		मापे गए मान			घोषित मूल्य		टिप्पणी
सं.	का नाम/ नंबर	कुल मात्रा (लीटर)	वार्षिक बिजली की खपत (किलोवॉट घण्टा /वर्ष)	स्टार स्तर या ऊर्जा दक्षता स्तर	कुल मात्रा (लीटर)	ऊर्जा खपत (किलोवॉट घण्टा /वर्ष)	स्टार स्तर या ऊर्जा दक्षता स्तर	

2. कंपनी का ब्यौरा

कंपनी का नाम :	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नं.	
फैक्स नं.	
ई-मेल	
वेबसाइट	
अधिकृत प्रतिनिधि का नाम	

3. विनिर्माण परिसर का ब्यौरा

पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नं.	
फैक्स नं.	
ई-मेल	

वेबसाइट	
अन्य कोई ब्यौरा	
अधिकृत प्रतिनिधि का नाम	

4. जांच प्रयोगशाला का ब्यौरा

5. लेबलिंग सूचना

प्रारंभ होने की तारीख	
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के लिए आवेदन किए गए लेबलों की संख्या	
पहले वर्ष के लिए –	
दूसरे वर्ष के लिए –	
तीसरे वर्ष के लिए -	
उत्पादन श्रृंखला सं	से तक

6. भुगतान का विवरण

	कुल रकम	भुगतान का विवरण
आवेदन शुल्क		
प्रतिभूति जमा		

7. प्रशीतकों पर चिपकाए जाने वाले लेबल का नमूना नीचे दिखाया गया है :

MORE STARS MORE SAVINGS POWER SAVINGS GUIDE		
ANNUAL ENERGY CONSUMPTION		
248* UNITS PER YEAR		
Label Period: 1et Jan 2023 to Stat Dec, 2024		
Case Person Inches and to Sinches, 2007		
Applience Refrigerator		
Brand : XX		
Model/Year : 30X / YYYY		
Type : XXXX		
Total Volume : 215 liters		



तारीख	हस्ताक्षर
	नाम
	पदनाम
	के लिए और उनकी ओर से
	(फर्म का नाम)
	फर्म की मुहर
प्ररूप ॥	- (雨)
[विनियम 7 के उप – विनि	यम (1) का खंड (क) देखें]
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (प्रशीतकों के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की के ब्रांड के रजिस्ट्रीकरण की अनुमति	विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2022 के अधीन प्रशीतकों
	नई दिल्ली, तारीख
प्रति,	

- 1. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (प्रशीतक के लेबलों पर विशिष्टियां और उनके संप्रदर्शन की रीति) विनियम, 2022 के अनुसरण में विनियम 7 के उपबंधों के अनुसरण में ब्यूरो आपको इस प्ररूप के साथ संलग्न अनुबंध में निर्धारित अनुमोदनों के विशिष्टियां के अनुसार अपने ब्रांड के रजिस्ट्रीकरण की अनुमति देता है।
- 2. यह अनुमति निम्नलिखित के अध्यधीन है
 - (क) प्रशीतक के लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर अधिनियम के धारा के 14 खंड (क) और उपरोक्त विनियमों में प्रदान किए गए शर्तों और निबंधनों के अधीन अधिसूचित प्रशीतकों के लिए ऊर्जा खपत मानकों के अनुरूप होगा;
 - (ख) प्रशीतक के केवल ऐसे मॉडल पर लेबल की मुहर लगाना जिसके लिए अनुमति दी गई है;
 - (ग) अनुज्ञापत्रधारी के खर्च पर प्रशीतकों पर लेबल का मुद्रण और चिपकाना;
 - (घ) अनुज्ञापत्रधारी यह सुनिश्चित करता है कि प्रशीतकों पर प्रदर्शित स्टार स्तर हर समय बनाए रखा जाएगा;
 - (ड.) अनुज्ञापत्रधारी की ओर से ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट लेबल शुल्क का भुगतान;
 - (च) अनुज्ञापत्रधारी वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के अगले माह के अंदर ब्यूरो को एक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें लेबल किए गए उपकरणों के उत्पादन और प्रत्येक तिमाही के लिए अर्जित लेबलिंग शुल्क का विवरण होगा। वही ब्यौरे स्वचालित प्रणालियों के माध्यम से ब्यूरो को भी प्रस्तुत किए जाएंगे;
 - (छ) अनुज्ञापत्रधारी प्रशीतकों के ऐसे अन्य विशिष्टियां ब्यूरो द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराएगा जिसके लिए अनुमति प्रदान की गई है।
- 3. अनुज्ञापत्रधारी, ब्यूरो के पूर्वानुमोदन के बिना, वैधता अविध के दौरान बाजार से रजिस्ट्रीकृत ब्रांड और प्रशीतकों को वापस नहीं लेगा।
- 4. ब्रांड के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट विशिष्ट लेबल श्रृंखला कोड है और अनुमोदित डिजाइन के अनुसार लेबल पर दिखाई देना चाहिए।

	<i>C</i>	()	C	•	-	$C \cdot C$
5	माहमाह	वष का ब	हस्ताक्षरित.	महरबद	आर	ादनााकत
٥.			Ø : ;	36,44	-11 \	17 111 1.71

भवदीय,

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

उपाबंध

[प्ररूप II – (क) का पैरा 1 देखें]

अनुमोदनों का विवरण

1. कंपनी का विवरण

कंपनी का नाम		
पता		
पिन कोड		
राज्य		
फोन नंबर		
फैक्स नंबर		
ई-मेल		
वेबसाइट		
2. रजिस्ट्रीकृत ब्रांड का नाम :		
3. विशिष्ट श्रृंखला कोड :		
4. अन्य विशिष्टियां, यदि लागू हो तो :		
तारीख :	भवदीय,	
	,	
	(सचिव)	
	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	
प्ररूप	II (ख)	
[विनियम 7 के उप-विनियम	(1) और (4) का खंड (ख) देखें]	
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (प्रशीतकों के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2022 के अधीन प्रशीतकों पर लेबल चिपकाने के लिए अनुमति या अनुमति का नवीनीकरण		
	नई दिल्ली, तारीख	
प्रति,		

- 1. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (प्रशीतक के लेबल पर विवरण और उनके प्रदर्शन का तरीका) विनियम, 2022 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसरण में ब्यूरो एतदद्वारा आपको इस प्ररूप के साथ संलग्न अनुबंध में निर्धारित अनुमोदनों के विशिष्टियां के अनुसार लेबल लगाने की अनुमित दी जाती है।
- 2. यह अनुमति निम्नलिखित के अध्यधीन है
 - (क) प्रशीतक के लेबलों पर प्रदर्शित स्टार स्तर अधिनियम की धारा के 14 खंड (क) और उपरोक्त विनियमों में प्रदान किए गए शर्तों और निबंधनों के अधीन अधिसूचित प्रशीतकों के लिए ऊर्जा खपत मानकों के अनुरूप होगा;
 - (ख) लेबल केवल प्रशीतकों के ऐसे मॉडल पर लगाया जाएगा जिसके लिए अनुमति दी गई है;
 - (ग) लेबल, अनुज्ञापत्रधारी के खर्च पर मुद्रित किया और प्रशीतकों पर चिपकाया जाएगा;
 - (घ) अनुज्ञापत्रधारी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रशीतकों पर प्रदर्शित स्टार स्तर हमेशा बना रहेगा;
 - (ड.) अनुज्ञापत्रधारी प्रति लेबल पांच रुपए के लेबल शुल्क का भुगतान करेगा;
 - (च) अनुज्ञापत्रधारी वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के अगले माह के अंदर ब्यूरो को एक विशिष्टियां प्रस्तुत करेगा जिसमें लेबल किए गए उपकरणों के उत्पादन और प्रत्येक तिमाही के लिए अर्जित लेबल लगाने की शुल्क का विशिष्टियां होगा। वही ब्यौरे स्वचालित प्रणालियों के माध्यम से ब्यूरो को भी प्रस्तुत किए जाएंगे;
 - (छ) अनुज्ञापत्रधारी प्रशीतकों के ऐसे अन्य विशिष्टियां ब्यूरो द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराएगा जिसके लिए अनुमति प्रदान की गई है।
- 4. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा उपकरण के लिए दी गई विशेष लेबल श्रृंखला है और अनुमोदित डिजाइन के अनुसार यह लेबल पर स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।
- 5. जहां केन्द्रीय सरकार द्वारा समीक्षाधीन स्टार स्तर योजना में आशोधन किया गया है, प्रशीतकों का स्टार स्तर निम्नानुसार आशोधित होगा: -
 - (क) यदि पुनरीक्षित स्टार स्तर के तुल्यकालिक रूप में नया मॉडल शुरू किया जाता है तो इसकी अनुमति हेतु ब्यूरो के पास उस तारीख से 6 माह अग्रिम में आवेदन किया जाए जिस तारीख से नए स्टार स्तर लागू होंगे;
 - (ख) जहां परिवर्तित स्टार स्तर लागू करने के लिए विद्यमान मॉडल को जारी रखा जाता है, ब्यूरो के पास घोषणा केवल इस विनिमय के साथ संलग्न प्ररूप IV में प्रस्तुत की जाएगी।

6	तारीख	माह	वर्ष को	हस्ताक्षरित,	मुहरबंद	और	दिनांकि	त
---	-------	-----	---------	--------------	---------	----	---------	---

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

उपाबंध

[प्ररूप 2 (ख) का पैरा 1 देखें]

अनुमोदनों के ब्यौरे

1. उपकरण का ब्यौरा

उपकरण और प्रकार	
ब्रांड	
मॉडल का नाम / संख्या	
कुल मात्रा	
विनिर्माण का वर्ष	

क्र. सं.	मॉडल का नाम/नंबर	मापे गए मान		घोषित मान			टिप्पणियां	
		कुल	वार्षिक बिजली की	स्टार	कुल	ऊर्जा खपत	स्टार	
		मात्रा	खपत	स्तर या	मात्रा	(कि.वा.घं./वर्ष)	स्तर या	
		(लीटर)	(कि.वा.घं./वर्ष)	ऊर्जा	(लीटर)		ऊर्जा	
				दक्षता			दक्षता	
				स्तर			स्तर	

2. लेबल ब्यौरे

उपकरण	
प्रकार	
विनिर्माता / आयातक / ब्रांड का नाम	
मॉडल का नाम / संख्या	
विनिर्माण का वर्ष	
कुल मात्रा (लीटर)	
वार्षिक बिजली की खपत (कि.वा.घं./वर्ष)	
स्टार स्तर	
लेबल की अवधि	

19

फर्म की मुहर

3. प्रशीतक पर लगाया जाने वाला ब्यूरो द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित लेबल का नमूना, जो नीचे दर्शाया गया है :





प्रशीतक पर लगाए गए लेबल में पत्र में दी गई विशिष्ट लेबल श्रृंखला कोड का उल्लेख किया जाता है।

4. लेबल के लिए उपयोग की जाने वाली लेबल डिजाइन, अ	ाकार, रंग योजना, सामग्री और लेबल की अंतर्वस्तु तथा ब्यूरो
लोगो की रंग योजना होगी।	
तारीख	
	हस्ताक्षर
	नाम
	पदनाम
	के लिए और उनकी ओर से
	(फर्म का नाम)

प्ररूप 3 [विनियम 7 के उप-विनियम (2) देखें] ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा अनुरक्षित किए जाने वाले अनुज्ञापत्रधारियों के रजिस्टर (टेम्पलेट)

क्र. सं.	आवेदन सं. और अनुज्ञा की तारीख	अनुज्ञापत्रधारी का नाम और ब्यौरा (संपर्क व्यक्ति, पता, पिन कोड, राज्य, फोन नं, फैक्स नं., ई-मेल, वेबसाइट)	उपकरण के ब्यौरे जिसके लिए अनुज्ञा प्रदान की गई है	घोषित स्टार स्तर या दक्षता स्तर	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो अनुज्ञा संख्या और विशिष्ट लेबल श्रृंखला	वह अवधि जिसके लिए अनुज्ञा प्रदान की गई है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

लेबल प्रतिभूति	इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहार (ब्यौरे) :	प्राप्त आवेदन शुल्क की	इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहार (ब्यौरे) :
शुल्क की रकम	तारीख: से प्राप्त लेबल प्रतिभूति	रकम	तारीख: से प्राप्त आवेदन शुल्क की
	शुल्क		रकम का ब्यौरा
(8)	(9)	(10)	(11)

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान	प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए	प्रत्येक वित्तीय वर्ष	टिप्पणियां
लगाए गए लेबलों की कुल संख्या		(इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहार (ब्यौरे)	
	=	: तारीख:) के लिए प्राप्त ब्यौरे के	
	की रकम	लेबल लगाने की रकम	
(12)	(13)	(14)	(15)

प्ररूप 4

[विनियम 7 के उप-विनियम (7) देखें]

अनुज्ञापत्रधारी द्वारा विद्यमान मॉडल पर लेबल चिपकाने को जारी रखने की मांग करते हुए घोषणा

(प्रत्येक भिन्न मॉडल के लिए, संबंधित उपाबंध सहित एक पृथक पत्र प्रस्तुत किया जाएगा) (निगमित निकाय / अनुज्ञापत्रधारी के शीर्षनामा पर)

तारीख:

सेवा में,
महानिदेशक
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)
चौथा तल, सेवा भवन,
सेक्टर – 1, आर. के. पुरम
नई दिल्ली – 110 066

भारत

विषय : से प्रभावी स्टार स्तर में पुनरीक्षण के संबंध में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (प्रशीतक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2022 द्वारा लेबल लगाने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र

- 1. मैं/हम [व्यक्ति या फर्म का पूरा नाम] की शैली में [कंपनी का नाम, पूरे पते सहित] में कारोबार करने वाला/वाले प्रशीतक का/के विनिर्माता/ आयातक हूं/ हैं और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (प्रशीतक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2022 में ब्यूरो द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्रशीतक पर लेबल चिपकाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं, जिसमें............ से स्टार स्तर में पुनरीक्षण होगा।
- 2. उपरोक्त उपकरण [व्यक्ति या फर्म का पूरा नाम] द्वारा विनिर्मित या आयातित है और इसका (कारखाने का नाम और पता) में विनिर्मित किया गया है या (आयातक का नाम और पता) से आयात किया गया है।
- 3. नए स्टार स्तर के लिए अनुरूपता : मैं/हम प्रशीतक के लिए अधिसूचना का. आ. सं. तारीख को स्वीकार करते हैं। उपरोक्त उपकरण के संबंध में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अनुमोदन की प्रति (जिसे पूर्व में अनुमोदित किया गया था) संलग्न है।
- 4. प्रशीतक के संबंध में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो लेबल (स्टार स्तर परिवर्तन के पुनरीक्षण के अनुसार) की प्रति संलग्न है।
- 5. स्टार स्तर के पुनरीक्षण के अनुसार उपकरण/मॉडल के ब्यौरे

मॉडल का नाम –

विशिष्टियां	घोषित मान			
कुल मात्रा (लीटर)				
वार्षिक बिजली खपत (कि.वॉ.घं./वर्ष)	1			
स्टार रेटिंग	(विद्यमान स्टार स्तर के अनुसार)	(पुनरीक्षित स्टार स्तर के अनुसार)		

^{6.} मैं/हम, स्टार स्तर को मैनुअल आवेदन तथा ऑनलाइन वेब पोर्टल में (विद्यमान स्टार लेबल स्तर) को (पुनरीक्षित स्टार लेबल स्तर) में बदलने के लिए सहमत हैं।

- 7. मैंने उक्त प्रशीतक मॉडल के लिए अभी तक तिमाही उत्पादन आंकड़े और लेबल लगाने की शुल्क जमा कर दी है।
- 8. मैं/हम, ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी शर्तों और निबंधनों का पालन करने और यदि ब्यूरो द्वारा कोई पूछताछ की जाती है, उसे आवश्यक सहायता/ सहयोग देने को सहमत हूं/हैं।
- 9. मैं/हम, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को सत्यापन और चुनौती पुनरीक्षण के लिए नमूने का चयन करने को प्राधिकृत करता हूं / करते हैं और इस संबंध में ब्यूरो के निदेशों का पालन करने को सहमत हैं।
- 10. मैं/हम यह वचन देता हूं/ देते हैं कि इस आवेदन पत्र में दी गई सूचना मेरी/हमारी पूरी जानकारी के अनुसार सही है और यदि इसमें दी गई कोई सूचना गलत पाई जाती है, आवेदन को तत्काल रद्द कर दिया जाए।

_	_	
		/ /
तार एव	1ਰਜ	(317)

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
कृते और की ओर से
(फर्म का नाम)
फर्म की मुहर

प्ररूप 5

[विनियम 11 का उप विनियम (4) देखें। अनुज्ञापत्रधारी को चुनौती परीक्षण/दूसरा परीक्षण देखने के लिए सूचना

	नई दिल्ली, तारीख
सेवा में,	

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (प्रशीतक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनिमय, 2022 के विनिमय 7 के उपबंधों के अनुसरण में आपको बीईई पत्र सं. तारीख के अनुसार प्रशीतकों पर लेबल चिपकाने की अनुज्ञा, उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों और निबंधनों के अनुपालन के अध्यधीन दी गई थी।

- 3. ब्यूरो अपने पूर्वोक्त अभिकरण के माध्यम से पैरा 2 में निर्दिष्ट नमूने को मैसर्स जो अधिसूचना संख्यांक का आ के उपाबंध में दिए गए प्ररूप के अनुसार जांच रिपोर्ट देने के लिए अधूिसचना संख्यांक का. आ. तारीख के पैरा 3, 4 और 5 में उपदर्शित परीक्षण प्रक्रिया के अनुसार परीक्षण करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड प्रत्यायित प्रयोगशाला है, तक लेकर गया।

- 4. उत्पाद का ब्यौरा और स्वप्नेरणा से परीक्षण के परिणाम (यदि लागू हो) इस पत्र के साथ संलग्न हैं। अत: अब, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (प्रशीतक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम 2022 के विनियम 11 के उप-विनियम (1) के उपबंधों के अनुसरण में, राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रत्यायित (तारीख) को (प्रयोगशाला का नाम) पर स्वप्नेरणा से परीक्षण/चुनौती परीक्षण (जैसा लागू हो) आयोजित कर रहा है।
- 5. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (प्रशीतक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2022 के विनियम 11 के उप-विनियम (4) के उपबंधों के अनुसार, ब्यूरो सूचित करता है –
- (i) नामनिर्दिष्ट अधिकारी के नाम, पदनाम और हस्ताक्षर का संकेत (मूल रूप में) एक प्राधिकरण पत्र के साथ विनिर्दिष्ट उपरोक्त तारीख पर चुनौती परीक्षण / दूसरे परीक्षण को देखने के लिए एक अधिकारी को नामनिर्दिष्ट (पत्र कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित और मुहरबंद किया जाएगा) करें।
- (ii) इस पत्र के जारी होने की तारीख से पन्द्रह दिनों के अंदर उपापन, परिवहन, परीक्षण और अन्य आकस्मिक व्ययों के लिए ऐसी लागत जमा करें, जैसा कि इस प्ररूप के साथ संलग्न उपाबंध में उल्लिखित किया गया है (व्यय इलेक्ट्रॉनिक पद्धित के माध्यम से जमा किया जाएगा)।
- 6. आप ध्यान दें कि ब्यूरो चुनौती परीक्षण या दूसरे परीक्षण द्वारा सत्यापन जारी रखेगा, भले ही उपर्युक्त व्यय समय पर नहीं किए गए हों या अधिकारियों को यथाविनिर्दिष्ट नामनिर्दिष्ट नहीं किया गया है और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (प्रशीतक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2022 के विनियम 11 के उप-विनियम (5) के अनुसार मामले में आगे की कार्रवाई करेंगे।

7.तारीखमाह..... वर्ष को हस्ताक्षरित, मुहरबंद और दिनांकित .

संलग्नक:

- 1. उत्पाद के ब्यौरे / स्वप्रेरणा से परीक्षण के परिणाम
- 2. उपाबंध
- व्यय से संबंधित बीजक

उपाबंध

[प्ररूप 5 का पैरा 5 देखें]

सूचना का ब्यौरा

1. चुनौती परीक्षण / दूसरे परीक्षण के लिए उठाए गए उत्पाद या उपकरण ब्यौरे

ब्रांड का नाम :
विशिष्ट लेबल श्रृंखला कोड :
मॉडल का नाम/मॉडल नंबर :
प्रकार :
कुल मात्रा (लीटर):
विनिर्माण का वर्ष:
वार्षिक बिजली खपत (कि.वॉ.घं. / वर्ष)
स्टार स्तर

2. ब्यूरो के पास जमा की जाने वाली रकम :

ब्यौरा	संख्या/व्यय (भारतीय रुपए में)
नमूनों की संख्या	
प्रति नमूना लागत	
कुल क्रय लागत	
कुल परीक्षण शुल्क	
यातायात भुगतान (यदि लागू हो)	
अन्य (यदि लागू हो)	
अनुज्ञापत्रधारी द्वारा संदत्त की जाने वाली कुल रकम	

स्वप्रेरणा से परीक्षण के परिणाम (यदि लागू हो) :

क्र.	ब्रांड	मॉडल	मापे गए मूल्य		घोषित मूल्य			टिप्पणियां	
सं.		का नाम							
		/ संख्या							
			कुल	वार्षिक	स्टार स्तर	कुल	ऊर्जा खपत	स्टार स्तर	
			मात्रा	बिजली खपत	या ऊर्जा	मात्रा	(कि.वॉ.घं. /	या ऊर्जा	
			(लीटर)	(कि.वॉ.घं. /	दक्षता स्तर	(लीटर)	वर्ष)	दक्षता स्तर	
				वर्ष)					
	1								

	0						
त	रा	ख					

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

प्ररूप 6

(विनियम 11 के उप-विनियम (5) देखें) दूसरे जांच परीक्षण में असफल होने पर अनुज्ञापत्रधारी को निदेश

,	\sim	\circ		0	
नइ	दर	न्ला	त	र	ख

सेवा में,		
7 के उप	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (प्रशीतक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टयां और रीति) विनिमय बंधों के अनुसरण में आपको ऊर्जा दक्षता ब्यूरो पत्र सं तारीख के वेपकाने की अनुज्ञा, उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों और निबंधनों के अनुपालन के अध्यधीन दी गई थी।	
े के की कीम	, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (प्रशीतक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम ह अधीन आपको प्राधिकृत वितरक, डीलर, खुदरा व्यापारी से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो स्टार लेबल प्रश् त पर बीजक संख्या तारीख को को क्रय किया गया था और पूर्वोक्त खर्र	शीतक रुपये ोदे गए प्रशीतक पर
आपके द्व	तरा चिपकाए गए पूर्वोक्त विनियमों के विनियम 3 के अधीन लेबल पर संप्रदर्शित विशिष्टियों	के सत्यापन के लिए
• • •	ना तारीख को ब्यूरो द्वारा नियुक्त एक अभिकरण मैसर्स द्वारा उठ सहित मैसर्स (वितरक, डीलर, खुदरा	• • •
	से अभिप्राप्त, सत्यापन अभिकरण के सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर किया गया था।	द्वारा सम्यक रूप से

3. ब्यूरो अपने पूर्वोक्त सत्यापन अभिकरण के माध्यम से पैरा 2 में निर्दिष्ट नमूने को मैसर्स जो का. आ	. सं.
तारीख के उपाबंध के अनुसार जांच रिपोर्ट देने के लिए का. आ. संख्यांक तारीख के	पैरा
4 और पैरा 5 में उपदर्शित परीक्षण प्रक्रिया के अनुसार परीक्षण करने के लिए एक राष्ट्रीय परीक्षण और अंशर्श	ोधन
प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड प्रत्यायित प्रयोगशाला, तक लेकर गया।	

- 4. विशिष्ट पहचान क्रम संख्या वाले नमूने की जांच रिपोर्ट के परिणाम संलग्न है। जांच रिपोर्ट के परिणाम उपदर्शित करते हैं कि प्रशीतक के नमूने प्रत्येक वर्ष यूनिट में ऊर्जा उपभोग, मानक, विनिर्दिष्ट कुल मात्रा आदि को पूरा करने में असफल था और आपके द्वारा विनिर्मित / आयातित प्रशीतकों पर लेबल चिपकाने के लिए अनुज्ञा मांगने के लिए आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन के साथ उपाबद्ध प्ररूप 1 के में आपके द्वारा दिए गए जांच ब्यौरे के अनुरूप नहीं है। परीक्षण परिणाम आपको ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के पत्र संख्या तारीख द्वारा प्राधिकृत संपर्क व्यक्ति के नाम से आपको भेजे गए थे। राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड प्रत्यायित प्रयोगशाला मैसर्स में नमूनों की दूसरे जांच सत्यापन परीक्षण में उपस्थित होने और साक्ष्य के लिए भी आपसे अनुरोध किया गया था।

- 7. अत: अब, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (प्रशीतक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2022 के विनियम 11 के उप-विनियम (5) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, ब्यूरो निदेश देता है कि :-
 - (i) प्रशीतक के लेबल पर संप्रदर्शित स्टार स्तर को सही करें या परीक्षण के दौरान पाए गए दोषों और किमयों को दूर करें;
 - (ii) ब्यूरो के निदेशों के अनुपालन में बाजार से सभी स्टॉक वापस लें ; और
 - (iii) विज्ञापन सामग्री पर संप्रदर्शित विशिष्टियों को बदलें।
- 8. आपको निदेश दिया जाता है कि इस पत्र के जारी किए जाने की तारीख से दो मास के भीतर उपर्युक्त सुधार संबंधी कार्रवाई पूरी करें और दो मास की समाप्ति के पश्चात् 10 दिन के भीतर अर्थात तक प्ररूप VI में अनुपालन रिपोर्ट भेजें। यदि उक्त तारीख तक कोई अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो ब्यूरो, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (प्रशीतक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) के विनियम 11 के उप-विनियम (6) के खंड (ख) के निबंधनों के अनुसार कार्रवाई करेगा।
- 9. ब्यूरो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (प्रशीतक के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, **2022** के विनियम 11 के विनियम (5) (6) (7) और (8) के निबंधनों के अनुसार मामले में आगे अनुवर्ती कार्रवाई करेगा।

सचिव.

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

संलग्नक :

- 1. असफल मॉडल की परीक्षण रिपोर्ट
- 2. विनिर्माता के साथ पत्राचार

प्ररूप 7

(विनियम 11 का उप विनियम (6) देखें)

अनुपालन रिपोर्ट

(संगठन के शीर्षनामा पर प्रस्तुत किया जाए)

सेवाः	में,		तारीख
सचिव	,		
ऊर्जा	दक्षता ब्यूरो,		
(विद्यु	त मंत्रालय, भारत सरकार)		
चौथा	तल, सेवा भवन,		
सेक्टर	र – 1, आर. के. पुरम		
नई वि	दे ल्ली – 110 066, भारत		
उपबंध मॉडल स्तर ^{हे} ऊर्जा उप-लि	धों के अनुसरण में, हम मेसर्स त संख्याके लिए ऊर्जा दक्षता ब के ऊर्जा उपभोग मानक के समतुल्य प्रशीतव दक्षता ब्यूरो (प्रशीतक के लेबलों पर उनके वेनियम (5) के उपबंधों के अनुसरण में, हर्ग	तारीख ज्यूरो पत्र संख्या ह पर लेबल चिपकाने के लिए अन् ह संप्रदर्शन की विशिष्टियां और री में आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई	ज्ञा दी गई थी। ति) विनियम, 2022 के विनियम 11 के करने के लिए पत्र संख्या
	ब द्वारा निदेश दिए गए थे। ऊर्जा व हैं कि हमारी ओर से निम्नलिखित कार्रवाई	• • • •	निदेश को ध्यान में रखते हुए, हम घोषणा
	निदेशित कार्रवाई	अवस्थिति	की गई कार्रवाई
(i)	ब्यूरो के निदेशों का अनुपालन करने के लिए प्रशीतक के लेवल पर संप्रदर्शित स्टार स्तर सुधारें	हां/नहीं/लागू नहीं होता	स्टार स्तर (तारीख)से प्रभावी स्टार सेसे स्टार तक सही किया गया है।
(ii)	ब्यूरो के निदेशों का अनुपालन करने के लिए बाजार से सभी स्टॉक वापस लिए जाएं। और	हां/नहीं/लागू नहीं होता	ब्यूरो के निदेशों का अनुपालन करने के लिए बाजार से सभी स्टॉक को वापस ले लिया गया है।
(iii)	विज्ञापन सामग्री पर संप्रदर्शित विशिष्टियां बदलें।	हां/नहीं/लागू नहीं होता	हां/नहीं/लागू नहीं होता
उपरो	क्त दी गई घोषणा हमारी पूरी जानकारी व	और विश्वास के अनुसार सही है।	

हस्ताक्षर..... नाम..... पदनाम.....

> कृते और के लिए फर्म/कंपनी का नाम आदि फर्म/कंपनी की मुहर


अनुसूची

(विनियम 3 का उप-विनियम (2) देखें)


प्रशीतकों के लेबलों पर संप्रदर्शित की जाने वाली विशिष्टियां

(1) लेबल डिजाइन

(i) आयाम:



(ii) रंग योजना : -



नीला -

रंगत (H)-239° संतृप्ति (S): 64% द्युति (B):59%

ज्योतिर्मयता या हल्कापन(L) : 28, रंग संबंधी घटक -a:24 b:54

लाल (R): 54 हरा (G): 55 नीला (B):151

सायन (C):97% मैजेंटा (M):95% पीला (Y):6% काला (K):1%

वेब रंग कोड - #363797

हरा -

रंगत (H)-150° संतप्ति (S):10% द्यति (B):67% ज्योतिर्मयता या हल्कापन(L)

: 61, रंग संबंधी घटक -a:-53 b:32 लाल (R):0 हरा (G):170 नीला (B):87

सायन (C):81% मैजेंटा (M):10% पीला (Y):90% काला (K):1% वेब रंग कोड - #00AA56:

(2) लेबल की सामग्री

लेबल टिकाऊ गत्ते का होना चाहिए, यदि इसे स्विंग टैग के रूप में संलग्न किया जाना है या स्वत: चिपकने वाला हो, और लेबल के लिए आयाम डिजाइन स्कीम में दिखाई गई रूपरेखा पर काटना होगा।

THE BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2022

No. BEE/S&L/Ref/70/2021-22.—Whereas the draft regulations namely, the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Refrigerators) Regulations, 2022, were published *vide* notification number No. BEE/S&L/Ref/70/2021-22, dated the 10th June, 2022 as required under sub-section (1) of section 58 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said draft regulations were made available to the public on 10th June, 2022;

And whereas suggestions have been received with respect to the said draft regulations within the period aforesaid;

And whereas the suggestions received in this regard have been taken into consideration;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (2) of section 58 read with clause (n) of sub-section (2) of section 13 and clause (d) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), and in supersession of the Bureau of Energy Efficiency (Particular and Manner of their Display on Labels of Household Frost Free Refrigerators) Regulations, 2009 dated 6th July, 2009 and the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Household Direct Cool Refrigerators) Regulations, 2016 dated 26th May, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such supersessions, the Bureau, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

- 1. Short title and commencement. -(1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Refrigerators) Regulations, 2022.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Definition: (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Act" means the Energy Conservation Act, 2001(52 of 2001);
 - (b) "Form" means a form appended to these regulations;

- (c) "label" means any written, printed, marked, stamped or graphic matter affixed to, or appearing upon, refrigerator;
- (d) "label period" means the validity period of the comparative electricity consumption under energy consumption standard notified by the Central Government under clause (a) of section 14 and in case the end period of the validity period of the comparative electricity consumption is not notified, it shall be deemed to be valid until new values for the same are notified by the Central Government;
- (e) "models or family of models" means the model or range of models of one particular brand, to which a single set of test reports is applicable and where each of the models has the same physical characteristics, annual electricity consumption, energy efficiency level and performance characteristics;
- (f) "permitee" means a person or agency to whom permission has been granted to affix label under regulation 7;
- (g) "refrigerators" means an appliance as specified in the notification under clause (b) of section 14 of the Act;
- (h) "Schedule" means the Schedule annexed to these regulations;
- (i) "star rating or star level" means the grade of energy efficiency displayed on the label of the refrigerator based on energy consumption standard notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act to denote the comparative electricity consumption of refrigerator;
- (j) "trader or seller" in relation to any labelled refrigerator means a person who sells or distributes any such refrigerator and includes the shopkeeper, trader, manufacturer and permittee who has been given permission to affix label on such refrigerator.
- (2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have meanings respectively assigned to them in the Act.
- 3. Particulars to be displayed on label.- (1) On every refrigerator, the following particulars shall be displayed on its label, namely:-
 - (a) the logo of the Bureau of Energy Efficiency;
 - (b) name of manufacturer or importer and brand;
 - (c) appliance type;
 - (d) total Volume;
 - (e) model number and year of manufacturing or import;
 - (f) unique series code;
 - (g) electricity consumption in units per year;
 - (h) star level; and
 - (i) label period.
 - (2) The design, colour, size and content of label shall be as specified in the Schedule annexed to these regulations.
- 4. Time limit for display of labels. (1) A label containing all the particulars specified in regulation 3 shall be displayed on every refrigerator within a period of six months from the date of coming into force of these regulations.
 - (2) On and from commencement of revised energy consumption standards notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act, every permittee or trader or seller-
 - (a) shall not produce the refrigerator with the previous energy consumption standards;

- (b) the refrigerator shall display star level and label period with the energy consumption standard and the manufacturing year of the refrigerator in synchronization with revised energy consumption standards;
- (c) All preparatory steps including awareness of the dealers, retailers, requisite publicity for their education as well as for the education of the consumers are well planned and action taken three months in advance.
- 5. Manner of display of label.-(1) On every refrigerator, shall be displayed label along with Quick Response (QR) code at the point of sale and such label shall be affixed on the refrigerator in the following manner, namely:-
 - (a) self-adhesive label along with QR code affixed on the front side of the upper right portion of refrigerator;
 - (b) self-adhesive label along with QR code affixed on the front side of the carton box.
 - (2) For refrigerator not on display, the label may be affixed to the exterior of the packing and the label may be attached to the unit when put on sale.
- 6. Permission for display of label.- (1) No star label shall be affixed on a refrigerator without obtaining the prior permission of the Bureau.
 - (2) Company registration.- For the purposes of obtaining permission of the Bureau, every brand shall be registered separately as specified in Form I (A), accompanied by a label security fee of one lakh rupees, payable by electronic mode of payment:

Provided that in case of small scale industry, the label security fee shall be twenty five thousand rupees only.

- (3) Model registration.- Every application of the permittee under sub-regulation (2) shall be accompanied by—
- (a) an application fee of two thousand rupees per model, payable by electronic mode of payment; and
- (b) a label security fee of one lakh rupees, payable in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi; by any acceptable electronic mode of payment:
- (c) documents specified in Form I (B).
- 7. Grant of permission.- (1) On receipt of an application under regulation 6 and after being satisfied that all requirements therein are complied with, the Bureau may, within a period of one month from the date of such receipt, grant, as specified in its Manual on standards and labelling, subject to such terms and conditions as specified in regulation 8,
 - (a) register the brand in Form II (A) in electronic form; and
 - (b) grant permission for affixing label on refrigerator in Form II (B) in electronic form.
 - (2) The Bureau shall maintain a register in Form III and enter the name of the permittee therein.
 - (3) The permission so granted under sub-regulation (1) shall be valid for such period till which the star level as specified in the energy consumption standard as notified by the Central Government under clause (a) of section 14 is in force.
 - (4) In case of revision of star rating plan, an application for renewal of permission shall be made by the permittee not later than one month before its expiry and shall be accompanied by a fee of rupees one thousand payable in electronic mode in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi.

Provided that in case of extension of star rating plan, the said renewal fee of rupees one thousand shall be exempted.

- (5) No application shall be renewed after expiry of validity period, in which case the permittee shall make a fresh application.
- (6) On receipt of application for renewal under sub-regulation (4) and after being satisfied that all requirements are complied with, the Bureau may, within a period of one month from the date of such receipt, renew permission in Form II.

- (7) The permittee who seeks permission for continuance to affix label on the existing model of the refrigerator from the date from which the revised star level comes into force shall submit only a declaration in Form IV.
- (8) The permittee shall seek permission to affix label afresh, if new model of the refrigerator is planned to be launched to synchronise with the revised star level and application for such permission may be made six months in advance of coming into force of the revised star level.
- 8. Terms and conditions for display of particulars on label.- Every permittee, trader and seller shall comply with the following terms and conditions in displaying the particulars on label, namely:-
 - (a) the star level displayed on the label of refrigerator shall conform to energy consumption standards for refrigerator notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act;
 - (b) the label shall be affixed only on such model of refrigerator for which permission has been granted;
 - (c) the label shall be printed and affixed on the refrigerator at the cost of permittee;
 - (d) the permittee, trader and seller shall ensure that the star level displayed on the label of refrigerator shall be maintained at all time;
 - (e) the permittee shall pay the label fee as specified in regulation 9;
 - (f) the permittee shall furnish to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labeling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year;
 - (g) the permittee shall furnish to the Bureau an updated list of authorised distributors, dealers, retailers, sellers appointed to sell their labelled products by 30th day of April of each year;
 - (h) comply with such other terms and conditions which the Bureau may specify including those contained in the Bureau's Operation Manual on Standards and Labelling.
- 9. Label fee.- (1) Every permittee shall pay to the Bureau a label fee of five rupees for each label affixed on the refrigerator.
 - (2) The label fee specified under sub-regulation (1) shall be paid annually within one month from the date of closure of each financial year:

Provided that on failure to pay the label fee within the period so specified, the Bureau may recover the amount due with interest thereon at ten per cent. per annum from the label security fee made under clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 6, and if complete labeling fees are not recovered within one year of the last date of submission, the Bureau may cancel all labels granted to the permittee and publish the name of the permittee in the newspapers as a defaulter.

- 10. Refund of label security fee.- Subject to the provisions of sub-regulation (2) of regulation 9, a permittee shall be entitled to a refund of the label security fee, on ceasing to manufacture refrigerator.
- 11. Verification by Bureau.- (1) The Bureau or its designated agency may, either suo motu, or on a complaint received by it, carry out verification to ensure that the refrigerator conforms to the star level and other particulars displayed on its label and that it complies with the other terms and conditions of permission.
 - (2) For the purpose of verification- (a) samples shall be picked up at random by the Bureau or its designated agency from the manufacturing facility, warehouse or the retail outlet (b) samples shall be picked up from following Test.- and shall be subjected to (i) Energy consumption test (ii) Total volume and (iii) Pull down test.
 - (3) Where, upon a complaint received under sub-regulation (1), the Bureau is required to carry out verification by challenge testing the refrigerator in an independent laboratory duly accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories, a notice shall be issued to the permittee for carrying out such testing and the complainant shall be called upon to deposit, such expenses relating to testing, transportation and other incidental expenses with the Bureau, within such time, as may be determined by Bureau, and if the sample drawn under challenge testing fails, all expenses towards the cost of sample, transportation of sample and the testing charges, shall be

reimbursed by the permittee to the Bureau and the Bureau shall refund the aforesaid expenses to the complainant; and where the equipment passes the challenge test, then, the expenses deposited by the complainant shall stand forfeited.

- (4) Where samples of refrigerator used for testing fails the test during suo motu testing or challenge testing, the permittee shall be offered another opportunity and the Bureau shall conduct second test with twice the quantity of refrigerator used in the first test in an independent test laboratory duly accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories at the cost of the permittee and the Bureau shall intimate the permittee in Form V to witness the challenge testing referred to in sub-regulation (3) or the second test referred to in sub-regulation (4) and the expenses to be made towards the procurement and testing of sample.
- (5) Where the second test fails, the Bureau shall,-
 - (a) direct the permittee in Form VI, under intimation to all the State Designated Agencies, that the permittee shall, within a period of two months,-
 - (i) correct the star level displayed on the label of the refrigerator or remove the defects and deficiencies found during testing;
 - (ii) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and
 - (iii) change the particulars displayed on advertising material;
 - (b) publish for the benefit of the consumers, the name of any permittee, brand name, model name or model number, logo and other specifications in any national or regional daily newspaper and in any electronic means or in any other manner as it deems fit, within two months;
 - (c) Intimate to the concerned State Designated Agency to initiate adjudication proceedings against the permittee and the trader under section 27 of the Act.
- (6) The permittee shall within ten days of the conclusion of the period of two months referred to in sub-regulation (5),-
 - (a) send the compliance report in Form VII to Bureau with respect to action taken in compliance with the direction; and
 - (b) in case the compliance report referred to in clause (a) is not received or received without complying to any of the direction within the specified period, it shall be deemed as non-compliance of the direction issued and orders to that effect shall be passed by the Bureau.
- (7) The Bureau shall send a copy of the compliance report referred to in clause (a) and orders passed in clause (b) of sub-regulation (6) along with necessary documents to all the State Designated Agencies for the purpose of taking action under section 17 of the Act and enforcement of the orders passed under clause (b) of the said sub-regulation.
- (8) Where the permittee fails to comply with the directions issued by the Bureau under sub-regulation (5), the Bureau under intimation to all State Designated Agencies for the reasons to be recorded in writing, shall,-
 - (a) withdraw the permission granted to the permittee under sub-regulation (1) of regulation 7;
 - (b) send report to the Central Government accompanied by the test report in support of the failure by the permittee to conform to the energy consumption standards notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act, the directions of the Bureau referred to in clause (a) of sub-regulation (6) for consideration and taking action under clause (c) of section 14 of the Act by the Central Government;

- (c) publish for the benefit of the consumers, the name of any permittee, brand name, model name or model number, logo and other specification in any national or regional daily newspaper and in any electronic or in any other manner as it deems fit within two months; and
- (d) intimate to the concerned State Designated Agencies to initiate further adjudication proceedings against the permittee and the trader under section 27 of the Act.
- 12. Cancellation of permission.- The Bureau may cancel the permission granted under regulation 7, if the permittee
 - (a) fails to comply with any of the terms and conditions specified under regulation 8;
 - (b) fails to pay label fee within the period specified under regulation 9;
 - (c) does not comply with the direction issued under regulation 11.

Provided that no permission shall be cancelled unless the permittee has been given an opportunity being heard in the matter.

ABHAY BAKRE, Director General [ADVT.-III/4/Exty./304/2022-23]

FORMI-(A)

[See sub-regulation (2) of regulation 6]

(To be printed on Company letter head)

Application for registration of brand of refrigerator under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Refrigerators) Regulations, 2022.

The Director General

Bureau of Energy Efficiency,

(Ministry of Power, Government of India) 4th Floor, Sewa Bhawan,

Sector-I, R.K. Puram, New Delhi – 110 066 India.

The details of the information in respect of the equipment, company, manufacturing facility and payment is given in Annexure. A photocopy of the certificate of incorporation issued by the Registrar of Firms or Societies or Director of Industries (in case of Small Scale Units) or similar other documents authenticating the name of the firm and its manufacturing premises is enclosed.

- (b) Contact person (Name and designation) is authorised to be the contact person for coordination with the Bureau in respect of this application and use of the label.
- (c) I/We undertake to intimate to the Bureau of any change in the authorized persons defined in (a) or (b) above
- 3. Production and sale figures of the said equipment and the value thereof to the best of my/our knowledge and estimates are as follows:

Year	Production	Sales	Maximum retail price of the equipment (Rs.)
Last year from			
to			
Current year			
from			
to (estimate)			

- 4. A label security fee of one lakh rupees or twenty-five thousand rupees as the case may be has been paid by electronic mode (To be filled only at the time of submission of label security fee).
- 5. I/We agree to pay the labelling fee as specified by the Bureau.
- 6. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/co- operation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.
- 7. I/We authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.
- 8. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my knowledge, and if any of the information supplied is found to be incorrect; the application may be rejected forthwith.

Dated thisDay	of (Year)
---------------	-----------

Signature
Name
Designation
For and on behalf of

(Name of the firm) SEAL OF FIRM

Annexure

[See para 2 of Form I - (A)]

1. Details of the Company

Name of the company	
Address	
Pin code	
State	
Phone number	
Fax number	
E-mail	
Website	
Enclosures to support registration:	

(a) Document authenticating the name and address of the manufacturing or business premises			
(b) Tr	(b) Trade mark certificate		
` /	mall scale industries te, if applicable		
(d) Quality Management System Certificate			
(e) A	uthorised signatory letter		
` /	ureau of Indian standards f applicable		
	ayment receipt for is made online		

2. Details of the manufacturing premise (a separate table may be provided in case of more than one manufacturing facility)

Name of the manufacturing facility	
Address	
Pin code	
State / Country	
Phone number	
Fax number	
E-mail	
Website	
Any other details (if any)	

Signature
Name
Designation
For and on behalf of

(Name of the firm) Seal of the Firm

FORM I- (B)

[See regulation 6]

Application for permission to affix label on refrigerator under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Refrigerators) Regulations, 2022

The Director Concret
The Director General
Bureau of Energy Efficiency (Ministry of Payor, Congressed of India)
(Ministry of Power, Government of India)
4 th Floor, Sewa Bhawan,
Sector – 1, R.K.Puram
New Delhi-110 066
India.
I/ We are the manufacturers or importers of refrigerators carrying out business at (full business address) under the style of (full name of individual or firm) hereby apply for permission to affix label on refrigerator as specified by the Bureau in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Refrigerators) Regulations, 2022.
2. Manufacturing Facility: The above equipment is manufactured or imported by (Name of the company) and is manufactured at (Name and address of the factory)
3. Details of information: The details of the information in respect of the equipment, company manufacturing facility, certification for the test products, labels and payment is given in Annexure appended to this form. A photocopy of the certificate of incorporation issued by the Registrar of Firms of Societies/Director of Industries (in case of Small Scale Units) or similar other documents authenticating the name of the firm and its manufacturing premises is enclosed.
(a) Applicant or authorised person: (Name and Designation) is authorised to make this application on behalf of the company or firm or etc., and will be responsible for accuracy and authenticity of the information supplied with this application.
(b) Contact Person: (Name and Designation) is the authorised contact person for coordination with the Bureau in respect of this application and the use of the Label.
(c) I/We undertake to intimate to the Bureau of any change in the authorised persons defined in (a) or (b) above
4. Conformance to Standards: (1) I/We conform to the Bureau of Indian Standard or other International Standards in respect of quality system or other standards in accordance with Indian standards or others (name and number of the standard)
(2) I/We have made arrangements for testing at our in-house laboratory or a independent laboratory (Name and address of the laboratory) which is accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories or International Laboratory Accreditation Cooperation or Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation or equivalent bodies for ensuring consistency in quality of the equipment as well as the scope of the relevant Indian standards/International organisation for standardization or International electrotechnical commission standards as specified in Statutory order
Laboratory details:
(a) Accreditation Board:
(b) Accreditation status:
(i) For laboratory: (yes/no)
(ii) For Test Standards: (Specify relevant product standard name and number)
(c) Bureau of Energy Efficiency approval:

SEAL OF FIRM

5. Production and sales figures of the said equipment and the value thereof to the best of my/our knowledge and estimates are as follows:

Year	Production	Sales	Maximum retail price of the equipment (Rs.)
Last year from			
to			
Current year from to (estimate)			

6.	(a)	An	app	lication	fee	of t	wo	thousand	rupees	paid	by	electronic	mode.
----	-----	----	-----	----------	-----	------	----	----------	--------	------	----	------------	-------

- (b) A Label security fee of one lakh rupees or twenty five thousand rupees _____ has been paid by electronic mode.
- (c) I/We agree to pay the labeling fee as specified by the Bureau.
- 7. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/co-operation to the bureau in case of any enquiry to be made by it.
- 8. I/We authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.
- 9. I/We undertake that the information provided in this application is accurate to the best of my knowledge, and if any of the information supplied is found to be incorrect; the application may be rejected forthwith

Dated this	day of (Year)
	Yours Faithfully,
	Signature
	Name
	Designation
	For and on behalf of
	(Name of the firm)

Annexure

[See para 3 of Form 1(B)]

Details of Information

1. Product/Equipment Detail

1.1 General

Equipment
Type (Direct cool, frost-free refrigerator)
Operating principle (Compression)
Climate class (Tropical T)

Brand
Model Name / Number
Name of the manufacturer/Importer
Address of the Manufacturer
Rated Total Volume (litre)
Month and Year of manufacturing
Bureau of Indian Standards certificate details (if any) (Attach copy of the License / Certificate)
Quality System certificate details (Attach copy of the License / Certificate)
Annual Electricity Consumption (kWh per year)
Pull down Time (minimum)

1.2 Technical details

Sl.	Model		Measured Value	es	Declared Values			Remarks
No.	Name/ No.							
	110.	Total Annual Star Level Volume (litre) Consumption (kWh/year) Efficiency Level			Total Volume (litre)	Energy Consumption (kWh/year)	Star Level or Energy Efficiency Level	

2. Details of the company

Name of the company:	
Address	
Pin Code	
State	
Phone No.	
Fax No.	
E-Mail	
Web site	
Name of the Authorized representative	


3.	Details	of the	manufacturing	premise
----	---------	--------	---------------	---------

Address	
Pin Code	
State	
Phone No.	
Fax No.	
E-Mail	
Web site	
Any other details	
Name of the Authorized representative	
4. Details of test laboratory	
Name of the test Laboratory	
Accreditation status	
(Attach copy of the accreditation certificate)	
Validity of the accreditation	
(Attach supporting document)	
Scope of Accreditation	
Address	
Pin Code	
State	
Phone No.	
Fax No.	
E-Mail	
Web site	
5. Labeling information	
Date of commencement	
Number of labels applied for Bureau of Energy	
Efficiency for the first year -	
for the second year -	
for the third year -	
Product Serial No.	From To
Troduct Berlin 110.	110111 10

6. Payment details

	Total Amount	Details of Payment
Application Fee		
Security Deposit		

7. Specimen of the label to be affixed on the refrigerator is shown below:





Date	Signature
	Name
	Designation

For and on behalf of.....

(Name of the firm)

SEAL OF FIRM

.....

D

3.

4.

(Secretary)

Bureau of Energy Efficiency

FORM II – (A)

[See clause (a) of sub-regulation (1) of regulation 7]

Permission for registration of brand of refrigerator under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Refrigerators) Regulations, 2022

			New Delhi, dated
То			
••••			
1.	Pursu and M hereb	ant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Eff Manner of their Display on Labels of Refrigerator) Regulations by permits you to register your brand as per details of approvals and add to this form.	, 2022, the Bureau
2.	This pe	ermission is subject to—	
	(a)	the star level displayed on the label of the refrigerator shall consumption standards for refrigerator notified under clause the Act and terms and conditions provided in the aforesaid regu	(a) of section 14 of
	(b)	the stamping of the label only on such model of refrigerator for has been granted;	or which permission
	(c)	the printing and affixture of the label on the refrigerator at the	cost of the permittee;
	(d)	the permittee ensuring that the star level displayed on the r maintained at all time;	efrigerator shall be
	(e)	the permittee paying the label fee as specified by the Bureau;	
	(f)	the permittee furnishing to the Bureau a statement contain production of the labelled equipment and the accrued labellin quarter within the following month of the close of each quar year. The same details shall be furnished to the Bureau also the system;	ng fee due for each ter of the financial
	(g)	the permittee making available such other details of refrige sought by the Bureau of which the permission has been granted	
	•	nittee shall not withdraw the registered brand and the refrigerate validity period except with the prior approval of the Bureau.	or from the market
	_	ue label series code assigned by the Bureau of Energy Effici- and should appear on the label as per the approved design.	ency for the brand
5.	Signed, se	ealed and dated this day ofmonth year.	
Y	ours faithf	ully	

Annexure

[See para 1 of Form II-(A)]

Details of Approvals

1.	Details	of	the	com	pany

1. Details of the company	
Name of the company	
Address	
Pin code	
State	
Phone number	
Fax number	
E-mail	
Website	
2. Name of the brand registered:	
3. Unique series code:	
4. Other details if applicable:	
Date:	Yours faithfully,
	(Secretary)
	Bureau of Energy Efficiency
	III(B)
	on (1) and (4) of regulation 7]
	bel on refrigerator under the Bureau of Energy lay on Labels of Refrigerators) Regulations, 2022
	New Delhi, dated the
То	

- Pursuant to the provisions of regulation 7 of Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Refrigerators) Regulations, 2022, the Bureau hereby permits you to affix label as per details of approvals set out in the Annexure appended to this form.
 - 2. This permission is subject to—
 - (a) the star level displayed on the label of the refrigerator shall conform to energy consumption standards for refrigerator notified under clause (a) section 14 of the Act and terms and conditions provided in the aforesaid regulations;
 - (b) the label shall be affixed only on such model of refrigerator for which permission has been granted;
 - (c) the label shall be printed and affixed on the refrigerator at the cost of the permittee;
 - the permittee shall ensure that the star level displayed on the refrigerator shall be (d) maintained at all time;
 - the permittee shall pay the label fee of five rupees per label; (e)

- (f) the permittee shall furnish to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labeling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year. The same details shall be furnished to the Bureau also through automated systems;
- (g) the permittee shall make available such other details of refrigerator as and when sought by the Bureau for which the permission has been granted.
- 4. The unique label series code assigned by Bureau of Energy Efficiency for the equipment is.....and should appear on the label as per the approved design.
- 5. Where the star level plans on review is modified by the Central Government, the star level of the refrigerator shall stand modified as follows:-
 - (a) if new model is launched synchronising with the revised star level, an application for such permission shall be made to Bureau six months in advance of the date from which new star level comes in to force;
 - (b) where the existing model is continued to give effect to the modified star level, only a declaration in Form IV appended to this regulation shall be submitted to the Bureau.

6.	Signed.	sealed and	dated	this	day of	month	vear

(Secretary)

Bureau of Energy Efficiency

Annexure

[See para 1 of Form II (B)]

Details of Approvals

1. Details of the Equipment


Equipment and Type
Brand
Model Name / Number
Total Volume
Year of manufacturing

Sl. No.	Model Name/ No.		Measured Value	es	Declared Values			Remarks
	1101	Total Volume (litre)	Annual Electricity Consumption (kWh/year)	Star Level or Energy Efficiency Level	Total Volume (litre)	Energy Consumption (kWh/year)	Star Level or Energy Efficiency Level	

6. Label Details

Equipment	
Туре	
Name of the manufacturer/importer/Brand	
Model Name/Number	
Year of manufacturing	
Total Volume (litre)	
Annual Electricity Consumption (kWh/year)	
Star level	
Label period	

3. Specimen of the label duly approved by Bureau to be affixed on the refrigerator is shown below.





The unique label series code provided in the letter has to be mentioned in the label affixed on the refrigerator.

4. The label design, size, colour scheme, material to be used for the label and the content of the label and colour scheme of the Bureau's logo shall be as specified in the Schedule.

D (
Date											

Signature	
Name	
Designation	
For and on behalf	of
	(Name of the firm)
	SEAL OF FIRM

FORM III [See sub-regulation (2) of regulation 7]

Register of Permittees to be maintained by Bureau of Energy Efficiency (template)

Sl. No.	Application No. and Date of Permission	Name and details of the permittee (Contact Person, Address, Pin Code, State, Phone No., Fax No., Email, Website)	Details of equipment for which the permission has been granted	Star level or Efficiency level declared	Bureau of Energy Efficiency permission number and unique label series	Period for which the permission has been granted
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Amount of Label Security Fee	Label Security Fee received by Electronic transaction (Details): Date:	* *	Details of Application Fee Amount received Electronic transaction (Details): Date:
(8)	(9)	(10)	(11)

Total number of labels affixed during each financial year	payable to Bureau of Energy Efficiency for	Labeling fee details received for each financial year (Electronic transaction Details): Date:)	Remarks
(12)	(13)	(14)	(15)

Form IV

[See sub-regulation (7) of regulation 7]

DECLARATION by Permittee seeking continuation of the permission to affix label on the existing model (For each different model, a separate letter shall be submitted along with respective Annexure)

(On the letter head of Corporate body/Permittee)

1	◝	_	4	_	
		и		μ	8

To

THE DIRECTOR GENERAL
BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY
(MINISTRY OF POWER, GOVERNMENT OF INDIA)
4TH FLOOR, SEWA BHAWAN,
SECTOR 1, R.K.PURAM,
NEW DELHI-110 066
INDIA.

Sub: Application for permission to affix label vide Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Refrigerators) Regulations, 2022 on revision of star level effective from

- 2. The above equipment is manufactured or imported by [FULL NAME OF INDIVIDUAL OR FIRM] and is manufactured at (NAME AND ADDRESS OF FACTORY) or imported from (NAME AND ADDRESS OF IMPORTER)
- 3. Conformance to New Star level: I/We conform to the table change as per Table ... as specified in the notification number S.O. number.dated...... for refrigerator. A copy of the Bureau's approval in respect of the above equipment (which was earlier approved) is enclosed.
- 4. A copy of the Bureau of Energy Efficiency Label (as per revision of star level change) in respect of the refrigerator is enclosed.
- 5. Details of the Equipment / Model as per revision of star level

Model	Name -		
viouei	Name -		

Particulars	Declare	ed Values
Total Volume (litre)		
Annual Electricity Consumption (kWh/year)		
Star Rating	(As per existing star level)	(As per the revised star level)

- 6. I/We agree to change the star level from [EXISTING STAR LABEL LEVEL] to [REVISED STAR LABEL LEVEL] in manual application as well as in the online web portal.
- 7. I have submitted my quarterly production data and labelling fee till date for the said refrigerator model.

- 8. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/cooperation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.
- 9. I/we authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.
- 10. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my/our knowledge, and should any of the information supplied is found to be incorrect, the application may be rejected forthwith.

Date:

Day of	(Year)
Signature	
Name	
Designation	
For and on behalf	of
	(Name of the firm)
	SEAL OF FIRM

FORM V

[See sub regulation (4) of regulation 11]

Intimation to permittee to witness Challenge test/Second test

То	New Delhi, dated the

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Refrigerator) Regulations, 2022 you were permitted to affix label on the refrigerator vide Bureau of Energy Efficiency letter No.dated subject to the compliance of the terms and conditions specified therein.

- 2. The Bureau, under regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Refrigerators) Regulations, 2022, had purchased a Bureau of Energy Efficiency star labelled refrigerator from your authorized distributor/dealer/retailer vide Invoice numberdated....... for a price of Rs............. and lifted as a sample dated by _____ for the purpose of suo motu testing or challenge testing. The samples were purchased by M/s , an agency appointed by the Bureau for verification of the particulars displayed on the label under regulation 3 of the aforesaid regulations, affixed by you on the aforesaid purchased refrigerator. The sample duly sealed by M/s........... bearing serial number------- was obtained from M/s......(Name of the Distributor, dealer, retailer) under signatures of the duly authorized representative of the verification agency.
- 3. The Bureau through its aforesaid verification agency had transported the sample referred to in para 2 to M/s.-----, a National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited laboratory for conducting tests in accordance with the test procedure indicated in paragraphs 3, 4 and 5 of the notification number S.O....dated...... for giving test report in accordance with the Form given in Annexure to the notification number S.O.
- 4. The details of the product and the *suo motu* test results (if applicable) is enclosed with this letter. Now, therefore in pursuance of the provisions of sub-regulation (1) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Refrigerators) Regulations, 2022, the Bureau is conducting *suo motu* test/challenge test (as applicable) on(date) at(Name of laboratory), accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories.

- 5. Pursuant to the provisions of sub-regulation (4) of regulation 11of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Refrigerator) Regulations 2022, the Bureau hereby intimates to-
- (i) nominate an official to witness challenge test/second test on the above date specified along with an authorisation letter indicating (in original) the name, designation and signature of the nominated official (the letter shall be duly signed and stamped by authorized signatory of the company).
- (ii) deposit such cost towards procurement, transportation, testing and other incidental expenses as mentioned in Annexure appended to this form, within fifteen days from the date of issuance of this letter (the expenses shall be deposited through electronic mode).
- 6. You may note that the Bureau shall continue the verification by challenge test or second test, even if the aforementioned expenses are not made in time or the officials are not nominated as specified and shall take further follow up action in the matter in terms of sub-regulation (5) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Refrigerator) Regulations 2022.
- 7. Signed, sealed and dated this...... day ofmonth year.

Enclosures:

- 1. Details of product/ suo motu test results
- 2. Annexure
- 3. Invoice related to the expenses

Annexure

[See para 5 of Form V]

Details of Information

1. Product or equipment details picked up for challenge test/second test

Brand name:
Unique label series code:
Model name/Model number:
Type:
Total Volume (litre):
Year of manufacturing:
Annual Electricity Consumption (kWh/year)
Star level

2. Amount to be deposited to the Bureau:

Details	Numbers/ expenses (in Indian Rupee)
Number of samples	
Cost per sample	
Total purchasing cost	
Total testing charges	
Transportation charges (if applicable)	
Others (if applicable)	
Total amount to be paid by the permittee	

3. Results of *suo moto* test (if applicable):

Sl. No.	Brand	Model Name/ No.	Measured Values			Declared Value	S	Remarks	
			Total Volume (litre)	Annual Electricity Consumption (kWh/year)	Star Level or Energy Efficiency Level	Total Volume (litre)	Energy Consumption (kWh/year)	Star Level or Energy Efficiency Level	

Date	
	(Secretary)
	Bureau of Energy Efficiency

FORM VI

[See sub-regulation (5) of regulation 11]

Direction to Permittee on failure of second check testing

То	New Delhi, dated the

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Refrigerators) Regulations, 2022, you were permitted to affix label on the refrigerator vide Bureau of Energy Efficiency letter No.dated....... subject to the compliance of the terms and conditions specified therein.

- 4. The results of the Test Report on the sample bearing Unique Identification serial number is enclosed. The results of the Test Report indicated that the sampled refrigerator failed to meet the electricity consumption in units per year, standard, specified total volume etc. and did not conform to the Test details furnished by you in Form I-A annexed to the application submitted by you for seeking permission to affix label on the Refrigerators manufactured/imported by you. The Test Results were sent to you vide Bureau of Energy Efficiency letter No... undated......in the name of your authorised Contact person. You were also requested to attend and witness the Second Check Verification Test of the samples at the National Accreditation Board for **Testing** and Calibration Laboratories Accredited Laboratory M/s.....
- 6. The Test results of second check testing are enclosed which are dully checked and counter signed by the competent authorised personnel of the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories Accredited Laboratory. The test report is also duly signed by your authorised signatory as witness of 2^{nd} check testing. The Test Results confirm that they failed to meet the requisite parameters and standards given in S.O.number dated, and the terms and conditions of the permission given to you for display of particulars on label affixed to the Refrigerators manufactured/imported and sold in the market .
- 7. Now, therefore in exercise of the power conferred clause (a) of sub-regulation (5) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Refrigerators) Regulations, 2022, the Bureau hereby directs to :-
 - (i) correct the star level displayed on the label of the Refrigerators or remove the defects and deficiencies found during testing;
 - (ii) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and
 - (iii) change the particulars displayed on advertising material.
- 8. You are hereby directed to complete the aforesaid corrective action within two months from the date of issue of this letter and send the compliance report in Form VI within 10 days after the expiry of two months i.e. by In case no compliance report is received by the said date the Bureau shall proceed to take action in terms of clause (b) of sub-regulation (6) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Refrigerators) Regulations, 2022.
- 9. The Bureau shall take further follow up action in the matter in terms of regulations (5) (6)(7) and (8) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Refrigerators) Regulations, 2022.

Secretary,

Bureau of Energy Efficiency

Enclosures:

- 1. Test reports of the failed model
- 2. Correspondence with the manufacturer

То

Dated.....

Name of the Company/Firm etc Seal of the Firm/Company".

Form VII

[See sub-regulation (6) of regulation 11]

Compliance Report

(To be furnished on the letter head of the organisation)

THE	SECRETARY,					
BUR	EAU OF ENERGY EFFICIENCY					
(MII	NISTRY OF POWER, GOVERNMEN	NT OF INDIA)				
4TH	FLOOR, SEWA BHAWAN,					
SEC	TOR 1, R.K.PURAM,					
NEV	V DELHI-110 066					
IND	IA.					
their the reconstruction No Purs (Part directorrecorrect	uant to the provisions of sub-regulations and Manner of their Displaytions vide Bureau of Energy Efficactive action. In the light of directive is	Regulations, 2022, we Maitted to affix label on the star level vide Burea number	I/srefrigerator conforming to the energy u of Energy Efficiency letter of the Bureau of Energy Efficiency s) Regulations, 2022, we were givendated to take necessary			
follo	following actions have been taken at our end. Action Directed Status Action Taken					
(i)	Correct the star level displayed on the label of the refrigerator to comply with the directions of the Bureau	Yes/No/NA	The star level has been corrected fromstar tostar with effect from (Date)			
(ii)	Withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau. and	Yes/No/NA	All the stocks from the market have been withdrawn to comply with the directions of the Bureau.			
(iii)	Change the particulars displayed on advertising material.	Yes/No/NA	Yes/No/NA			
The	above declaration is true to the best of	our knowledge and belief.				
			Signature			
			Name			
			Designation			
			For and on behalf of			


Schedule

[See sub-regulation (2) of regulation 3]


Particulars to be displayed on labels of refrigerator.

(1.) Label design

(i) Dimension:



(ii) Color scheme:



BLUE -

Hue(H)-239° Saturation(S):64% Brightness(B):59%

Luminance or lightness(L):28, chromatic components -a:24 b:54

Red(R):54 Green(G):55 Blue(B):151

Cyan(C):97% Magenta(M):95% Yellow(Y):6% Black(K):1%

Web colour code - #363797

GREEN -

Hue(H)-150° Saturation(S):10% Brightness(B):67%, Luminance or lightness(L) :61, chromatic components -a:-53 b:32, Red(R):0 Green(G):170 Blue(B):87

Cyan(C):81% Magenta(M):10% Yellow(Y):90% Black(K):1%, Web colour code -#00AA56;

(2) Label Material

The label shall be of durable cardboard, if it is to be attached as a swing tag, or be self-adhesive and shall be cut to one of the outlines shown in dimension design scheme for the label.